राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

मूल्य : ₹15/-

उभरता बिहार

वर्ष : 16, अंक : 6, दिसंबर 2023

सच्चाई, ऊर्जा, सकारात्मक विचार

तारीख पर तारीख का खत्म होगा दौर

कांपेंगे अपराधियों की रूह

मुक्त होगी पुलिसिया गुंडागर्दी

ENVISION MEDICAL
IMAGING & SCAN CENTRE

(A UNIT OF ENVISION MEDICAL IMAGING & SCAN CENTRE PVT. LTD)

C-14 BEHIND V-MART, KANKARBAGH AUTO STAND, KANKARBAGH, PATNA - 800 020

MOBILE : 9155998970, 9155998971, E-mail : envisionimagingpatna@gmail.com

उभरता बिहार

वर्ष : 16, अंक : 06, दिसंबर 2023

RNI No. BIHHIN/2007/22741

संपादक
राजीव रंजन

समाचार संपादक
राकेश कुमार

विशेष संवाददाता
कुमुद रंजन सिंह

छायाकार
विनोद राज

विधि सलाहकार
उपेन्द्र प्रसाद
चंद्र नारायण जायसवाल

साज-सज्जा
मयंक शर्मा

प्रशासनिक कार्यालय
सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर
कंकड़बाग, पटना - 800020
फोन : 7004721818

Email : ubhartabihar@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक रांजीव रंजन द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, बिहार से मुद्रित एवं सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना - 800020 से प्रकाशित।
संपादक: राजीव रंजन

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है एवं इसके लिये संपादक, प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नही है। सामग्री की वापसी की जिम्मेवारी उभरता बिहार की नहीं होगी। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वोधिकार सुरक्षित है। कुछ छाया चित्र और लेख इंटरनेट, एजेंसी एवं पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थायी एवं अवैतनिक है। किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर खंडन करें।

नोट : किसी भी रिपोर्टर द्वारा अनैतिक ढंग से लेन-देन के जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

संरक्षक

डॉ. संतोष कुमार | अखिलेश कुमार जायसवाल
राजीव रंजन | डॉ. राकेश कुमार

कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमारप्रवासी भारतीय 09

दुनिया का सबसे बड़ा मेडीटेशन सेंटर 14

एक दूसरे से जूझते मानव व वन्य प्राणी 42

सजा के सवाल

राजीव रंजन
संपादक

संसद के शीतकालीन सत्र में अभूतपूर्व हंगामे और निलंबन के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जो आजाद भारत में न्यायिक सुधारों की दृष्टि से मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। दूरसंचार से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक के अलावा उन औपनिवेशिक कानूनों के बदलाव का रास्ता भी साफ हुआ जो भारतीयों को दंडित करने के लिये ब्रिटिश शासकों ने बनाये थे। इसी क्रम में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य कानून ने ली है। अब शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तीन विधेयकों को राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति की मोहर लगने पर कानून का रूप ले लेंगे। अभी सार्वजनिक विमर्श में इन नये बनने वाले कानूनों को लेकर ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन विधेयक में डॉक्टरों के लिये हल्की सजा के प्रावधान को लेकर चर्चाएं जरूर हैं। कहा जा रहा है कि जीवन से खिलवाड़ के प्रश्न पर हल्की सजा का प्रावधान क्यों? जबकि पहले ही कानून उन्हें संरक्षण देता है। दरअसल, संसद द्वारा हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता में जो बदलाव किया गया है वह डॉक्टरों के लिये तो निश्चय की राहतकारी है, लेकिन यदि वास्तव में जानलेवा लापरवाही होती है तो क्या मरीज को न्याय मिल सकेगा? कुछ लोग इस फैसले की तार्किकता पर सवाल उठाते हैं। दरअसल, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में किसी लापरवाही से होने वाली मौत के लिये जुमार्ने के अलावा पांच साल की सजा का प्रावधान है। मगर इलाज में लापरवाही के प्रकरण में चिकित्सकों को राहत देते हुए इस सजा को घटाकर अधिकतम दो साल व जुमार्ना कर दिया गया है। सरकार की दलील है कि लोगों के इलाज करने वाले चिकित्सकों को अनावश्यक दबाव से बचाने के लिये भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के आग्रह पर यह कदम उठाया गया है। लेकिन वहीं जानकार मानते हैं कि मरीजों के जीवन रक्षा के अधिकार का भी सम्मान होना चाहिए। जबकि कानूनी मामलों के जानकार बताते हैं कि चिकित्सा उपचार में लापरवाही से जुड़े कानून की तीन धाराएं अब तक सजा तय करती रही हैं। समय-समय पर आए न्यायिक फैसलों के आलोक में इन धाराओं की विवेचना माननीय न्यायाधीशों ने की है। उल्लेखनीय है कि दो धाराओं की व्याख्या तो शीर्ष अदालत के दो निर्णायक फैसलों के परिप्रेक्ष्य में की गई है। दरअसल, न्यायालय भी मानता रहा है कि विभिन्न कारणों से लापरवाही के गलत आरोपों से चिकित्सकों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं अदालत किसी अन्य पेशे की लापरवाही व चिकित्सीय उपचार की संवेदनशीलता के चलते दोनों में फर्क करने की बात कहती रही है। कोर्ट का मानना है कि उपचार के विभिन्न पहलुओं के चलते हर नकारात्मक परिणाम को लापरवाही नहीं कहा जा सकता। दरअसल, चिकित्सकों को सुरक्षा कवच पेशागत विशिष्टता के चलते दिया गया है। जिसके चलते लापरवाह डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज कराना पहले ही आसान नहीं था। दरअसल, किसी भी लापरवाही के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई भी निजी शिकायत तभी दर्ज होती है, जब इस बारे में कोई योग्य डॉक्टर राय देता है। इतना ही नहीं, यदि शिकायत दर्ज हो भी जाती है तो एक बार फिर मामले की जांच करने वाले अधिकारी को चिकित्सकीय राय लेनी होती है। यानी जटिल परिस्थितियों में ही लापरवाह चिकित्सक की गिरफ्तारी अपवाद स्वरूप ही संभव हो सकती है। ऐसे में नागरिक अधिकारों के समर्थक मानते हैं कि लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर पहले मामला दर्ज करना कठिन होता है। वहीं उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया शुरू करना और भी कठिन होता है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि यदि वाकई डॉक्टर लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो क्या उसे कम सजा पाने का हक होना चाहिए? खासकर जब चिकित्सा क्षेत्र में पांच सितारा चिकित्सा संस्कृति का वर्चस्व बढ़ रहा है और धनाढ्य वर्ग का चिकित्सा व्यवसाय में दखल बढ़ता जा रहा है तो आम व साधनविहीन वर्ग के हितों की अनदेखी तो नहीं की जा सकती। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में सरकार भी ऐसी विसंगतियों पर मंथन करे।

डिग्रियां पाते ही खुशी और उत्साह में झूमे मेधावी

बीएचयू दीक्षांत समारोह: 28 टॉपरों को 32 मेडल दिये गये

होनहारों में चांसलर पदक, स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और बीएचयू पदक बांटे गए

समारोह में कुल 14680 छात्रों को डिग्री प्रदान की गयी

सुरेश गांधी

वाराणसी। बीएचयू के 103वें दीक्षांत समारोह में शनिवार को 28 मेधावियों में 32 पदक बांटे गए। इसमें 20 छात्राएं और 8 पदक छात्रों को दिया गया। इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर, शोध, एमफिल और डीलिट को मिलाकर कुल 14680 विद्यार्थियों को उपाधियां भी दी गईं। समारोह में संगीत एवं मंच कला संकाय में बैचलर आफ परफार्मिंग आर्टस में सर्वोच्च अंक पाने वाली छात्रा सुश्री और मास्टर आफ परफार्मिंग आर्टस में भद्राप्रिया को चांसलर मेडल से नवाजा गया। मुख्य अतिथि भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद और विश्वविद्यालय के चांसलर न्यायमूर्ति (रि.) गिरधर मालवीय ने पदक पाने वालों को बधाई देते हुए उनहें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित समारोह हालांकि 28 मेधावियों में कुल 24 ही समारोह में पदक लेने पहुंचे। बाकी चार का इंतजार होता रहा। समारोह के खत्म होने के बाद भी चारों विद्यार्थी नहीं पहुंचे। इस दौरान चांसलर मेडल पाने वाली दोनों छात्राओं को तीन-तीन पदक जबकि बाकी को एक-एक पदक दिया गया। कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने बताया कि मुख्य समारोह में 23 छात्रों को 27 पदक (चांसलर पदक, स्वर्गीय महाराजा विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक और बीएचयू पदक) प्रदान किए गए। कुल 14680 छात्रों को डिग्री प्रदान की गयी है। इनमें 7602 स्नातक, 6002 स्नातकोत्तर, 32 एम.फिल और 1044 पीएचडी शामिल हैं। जबकि 3 डी. लिट डिग्री भी दी गयी है। सभी संस्थानों और संकायों में छात्रों को 539 पदक प्रदान किए गए हैं। मुख्य समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय ने की। कुलाधिपति द्वारा स्नातकों को शपथ दिलाई गई। कुलसचिव प्रो अरुण कुमार सिंह ने पदक पाने वाले विद्यार्थियों के नाम की घोषणा की. रेक्टर प्रो. वी.के.शुक्ला ने मुख्य अतिथि का परिचय प्रस्तुत किया। समारोह का समापन रजिस्ट्रार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का संचालन प्रो. पद्मिनी रवीन्द्रनाथ ने किया। जबकि कार्यक्रम की शुरूआत में प्रो. पतंजलि मिश्र ने मंगलाचरण किया।

टॉपरों बोले: कड़ी मेहनत और लगन से मिलती है सफलता

बोले: सभ्यता-संस्कृति नहीं भूले, परिवार और समाज का भला करें

समारोह में मेडल पाने वाले छात्र-छात्राओं का

कहना है कि सफलता कड़ी मेहनत और लगन से मिलती है। विद्यार्थी जहां भी रहे अपनी सभ्यता, संस्कृति को बिना भूले अपना, परिवार और समाज का भला करने का प्रयास करें। साधन से वंचित समाज के कम से कम एक बच्चे को शिक्षित करना सुनिश्चित करें। पैसा तो बहुत से लोग कमाते हैं, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का जो सिर्फ अपने और परिवार के सुख के लिए ही सीमित हो। दूसरों के लिए जीने वालों को दुनिया हमेशा याद रखती है। ऐसा ज्ञान हासिल नहीं करना है जो उनके परिवार को ओल्ड एज होम में जाने के लिए विवश करें युवा पीढ़ी समाज में बदलाव लाने की सबसे मजबूत एजेंसी है। भद्रा प्रिया (मास्टर आफ परफार्मिंग आर्टस) सर्वोच्च अंक पाने पर पर 3 पदक-चांसलर पदक, महाराज विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक, बीएचयू पदक ने कहा कि यह उनके मेहनत का प्रतिफल है। सुश्री (मास्टर आफ परफार्मिंग आर्टस) सर्वोच्च अंक पाने पर पर 3 पदक-चांसलर पदक, महाराज विभूति नारायण सिंह स्वर्ण पदक, बीएचयू पदक ने कहा कि मेहनत का परिणाम अच्छा ही होता है। अमन सिंह आचार्य में बीएचयू पदक, विमलेश कुमार शुक्ला शास्त्री में बीएचयू पदक, दक्षिता-बीएससी आनर्स जियोलॉजी में बीएचयू पदक, अनुप्रिया यादव एमएससी बॉटनी में बीएचयू पदक, सौरभ शुक्ला एमएससी एग्रो फारेस्टी में बीएचयू पदक, अपूर्वा प्रियदर्शिनी बीएससी कृषि में बीएचयू पदक, वंशिका बंसल-एमएससी बायो सांख्यिकी में पदक, अनुष्का मौर्य-बीएससी नर्सिंग में बीएचयू पदक, सरिता गुप्ता-बीफार्मा आयुर्वेद में बीएचयू पदक, आयुषी शर्मा-बीडीएस में बीएचयू पदक, महाजन अर्जुन दीपक-एमडीएस में बीएचयू पदक, अमन कुमार त्रिवेदी-एमए संस्कृत में बीएचयू पदक, श्रेया शुक्ला-बीए संस्कृत में बीएचयू पदक, तन्वी बाजपेयी-एमए मनोविज्ञान में बीएचयू पदक, अभिनव यादव-बीए आनर्स जियोग्राफी में बीएचयू

पदक, अद्रिका-बीकॉम आनर्स में बीएचयू पदक, योगिता बजाज-एमकॉम में बीएचयू पदक, साक्षी कादियान-एमबीए में बीएचयू पदक, पल्लवी दास-बीएड में बीएचयू पदक, शिवानी-एमए शिक्षाशास्त्र में बीएचयू पदक, जागृति मिश्रा-बीएएलएलबी आनर्स में बीएचयू पदक, मनीषा बटवाल-एलएलएम (एकवर्षीय) में बीएचयू पदक, चंदन सिंह-बीएफए अप्लायड आर्टस में बीएचूय पदक, सत्यम सिंह एमएफए अप्लायड आर्टस में बीएचयू पदक, प्रणव कुमार त्रिपाठी-बैचलर आफ वेटेनरी साइंस एंड एनिमल हसबैंड्री में बीएचयू पदक व प्रिया नेगी एमएससी एनवायरन्मेंटल साइंस (एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी) में बीएचयू पदक ने कहा कि मेहनत व लगन जाया नहीं जाती, सफलता जरुर मिलती है।

मानव-केंद्रित विकास पर ध्यान देना चाहिए: प्रो सूद

एक मजबूत भारत के लिए शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के बीच गहरी भागीदारी का आह्वान

बीएचयू में नेतृत्व करने की क्षमता, जिम्मेदारी और अवसर है उदाहरणः कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन

कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की

सुरेद्य गांधी

वाराणसी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे अपने ज्ञान व क्षमताओं का विस्तार करते हुए सामाजिक विकास में योगदान दें।

स्वतंत्रता भवन में आयोजित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के 103वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए प्रो. सूद ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज विश्व प्रशंसा व ऐसी अपेक्षाओं की नजर से भारत को देख रहा है कि वह स्वच्छ ऊर्जा, जल समाधानों, स्वच्छ पर्यावरण, तथा सतत विकास जैसे वैश्विक विषयों के समाधान हेतु योगदान देगा।

प्रो. सूद ने कहा कि शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष, तथा समग्र समाज का योगदान, एक सशक्त राष्ट्र के लिए चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने लंबे समय से इन स्तंभों के अलग अलग होकर कार्य करने की ओर इंगित करते हुए कहा कि अब इस भेद को खत्म करने का समय आ गया है तथा इन चारों के बीच गहरे मेल के साथ कार्य करने की जरूरत है। क्रमिक विकास के बजाए मूलभूत रूप से प्रगति केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान करते हुए प्रो. सूद ने कहा कि हमें ऐसे विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा जो परिवर्तनकारी विकास को गति दें। विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रो. सूद ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वंदनीय संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उद्धृत किया और कहा कि आज का आधारभूत विज्ञान आने वाले कल की प्रौद्योगिकी में बदल जाएगा।

मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत को इस बात का एहसास है कि उसे डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं समकालीन महत्व के क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्तर बनाना है, और इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने साईबर फिजिकल सिस्टम, सेमिकंडक्टर्स, एवं कृत्रिम बौद्धिकता के लिए राष्ट्रीय मिशन आरंभ किये हैं। इस क्रम में अनुसंधान नेशनल रीसर्च फाउंडेशन की पहल महत्वपूर्ण है। प्रो. सूद ने बताया कि आने वाले समय में क्वॉन्टम प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए भारत सरकार फनंदजनउ डपेपवद भी लागू कर रही है। उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से अपील की कि इन उभरती प्रौद्योगिकियों की दिशा में वह आगे बढ़कर योगदान दे। मुख्य अतिथि ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों का उद्देश्य होना चाहिए कि वे शिक्षण, अधिगम और अनुसंधान में नवाचार को बढ़ावा दें और नए विचारों, नई प्रौद्योगिकियों और नई दुनिया के विचारों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत, उद्योग और व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं के प्रति सचेत एक सजग कार्यबल तैयार करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक कदम है। मुख्य अतिथि ने स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, स्टार्ट अप, आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत द्वारा की जा रही प्रगति की चर्चा की और विश्वास जताया कि आज विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थी नवाचार को आगे बढ़ाने की ओर महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सृजनात्मकता आपके डीएनए का हिस्सा बननी चाहिए। समग्र शिक्षा मुहैया कराने में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के योगदान की सराहना करते हुए प्रो. अजय सूद ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान का अहम योगदान है। हमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को वांछित सामाजिक प्रभाव के साथ जोड़ना होगा।

स्वागत भाषण में कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अपनी शैक्षणिक विरासत तथा पारंपरिक ज्ञान व्यवस्था के आधुनिक शिक्षा के साथ मेल के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय के मूल्य सामाजिक जिम्मेदारियों, समग्रता, तथा शिक्षा, अनुसंधान, व सामुदायिक सक्रियता के जरिये देश के विकास में योगदान हेतु प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। विभिन्न मोर्चों पर विश्वविद्यालय की प्रगति की चर्चा करते हुए कुलपति ने बताया कि बीएचयू प्रतिभाओं के विकास, शोध सुविधाओं को बढ़ाने, विद्यार्थियों को अधिक सहयोग उपलब्ध कराने, ढांचागत सुविधाओं के आधुनिकीकरण, एवं पुराछात्रों को जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। उन्होंने उत्कृष्टता हासिल करने के बीएचयू के प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु इंस्टिट्यूशन ऑफ एमिनेंस के तहत आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की भी चर्चा की। कुलपति जी ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों से पब्लिक यूनिवर्सिटीज को मिल रही चुनौती व प्रतिस्पर्धा के आलोक में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास दूसरों के लिए उदाहरण पेश करने की क्षमता, अवसर एवं जिम्मेदारी है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करके तथा ईमानदारी, करुणा तथा सत्यनिष्ठा जैसे मूल्य विकसित करने के पश्चात आज विद्यार्थी जीवन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जहां वे नई शुरूआत कर सकेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे उत्कृष्टता के प्रति उत्साह व वंचितों के प्रति करुणा के साथ आगे बढ़ें व अपने माता पिता एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को गौरवान्वित करें। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।

कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हमारप्रवासी भारतीय

हम सभी भारतीयों के लिए यह गर्व का विषय है कि आज लगभग समस्त विकसित देश भारतीय मूल के नागरिकों को अपने देशों की नागरिकता प्रदान करने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। यह सब इसलिए सम्भव हो पाया है क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों ने अपनी उच्च शिक्षा, कौशल, ईमानदारी, मेहनत के बल पर एवं महान भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज की है तथा इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गतिशील बनाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। विशेष रूप से आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर, जापान सहित अन्य कई विकसित देश आज इस प्रकार की नई नीतियां बनाने में जुटे हैं कि किस प्रकार इन देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वहां के राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदार बनाया जाय ताकि इन देशों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था में सुधार किया जा सके। इन समस्त देशों के मूल नागरिकों में आज महान भारतीय संस्कृति की ओर बढ़ता रुझान भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। यह समस्त देश आज भारतीय मूल के अपने नागरिकों को राष्ट्रीय आर्थिक सम्पत्ति मानने लगे हैं, जो इन देशों के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। भारतीय मूल के अधिक से अधिक नागरिकों के अपने देश में आकर्षित करने के लिए आज इन देशों के बीच एक तरह से आपस में प्रतियोगिता सी चल रही है।

आज भारतीय मूल के 320 लाख से अधिक नागरिक विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं। इनमें 140 लाख भारतीय नागरिक प्रवासी भारतीय के रूप में इन देशों में रह रहे हैं एवं शेष 180 लाख भारतीय मूल के रूप में इन देशों के नागरिक बन चुके हैं। कुल मिलाकर 146 से अधिक देशों में भारतीय मूल के नागरिक निवास कर रहे हैं। केरेबियन देशों, उत्तरी अमेरिका, फीजी, दक्षिण एवं पूर्वी अफ्रीका एवं मलेशिया में तो भारतीय मूल के नागरिक लगभग 200 वर्षों (शताब्दियों) से अधिक समय से निवास कर रहे हैं एवं आज वहां भारतीयों की कई पीढ़ियां निवास करती आ रही हैं। पिछले कुछ दशकों (दशाब्दियों) से गल्फ के देशों में भी भारतीय मूल के नागरिक निवासरत हैं एवं इन देशों की अर्थव्यवस्था को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं तो वहीं वर्ष 1965 के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर एवं आस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में भारतीयों ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है एवं विशेष रूप से इन देशों के सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया है।

विशेष रूप से 1990 के दशक में एवं इसके बाद के वर्षों में उच्च शिक्षा एवं उच्च कौशल प्राप्त भारतीय विकसित देशों में विशेष रूप से तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में उच्च कौशल से युक्त पदों पर कार्य करने हेतु इन देशों की ओर आकर्षित हुए। साथ ही, इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से भी लाखों की संख्या में भारतीय छात्र इन देशों में अप्रवासी भारतीय के रूप में दाखिल हुए। आज विश्व में तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से विकसित देशों सहित, इन उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयों पर जबरदस्त विश्वास की भावना पाई जा रही है क्योंकि इन भारतीयों ने अपनी महान सनातन संस्कृति का पालन करते हुए अपनी दक्षता को भी पूर्ण रूप से सिद्ध किया है।

वर्ष 2016 में आस्ट्रेलिया में 6.76 लाख भारतीय मूल के नागरिक (आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 2.8 प्रतिशत), जिन्होंने आस्ट्रेलिया की नागरिकता प्राप्त कर ली थी, निवास कर रहे थे। साथ ही, 4.55 लाख भारतीय (आस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या का 1.9 प्रतिशत), प्रवासी भारतीय के तौर पर आस्ट्रेलिया में निवास कर रहे थे। आस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या वर्ष 2006 से वर्ष 2016 के बीच 10.7 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ सबसे तेज गति से बढ़ रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वर्ष 2031 तक भारतीय मूल के नागरिकों की जनसंख्या चीनी मूल के नागरिकों की जनसंख्या को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर आ जाएगी। भारतीय मूल के नागरिक यहां सबसे अधिक पढ़े लिखे माने जाते हैं क्योंकि भारतीय मूल के 58 प्रतिशत नागरिक उच्च अध्ययन (ग्रैजूएट एवं अधिक) प्राप्त हैं जबकि आस्ट्रेलिया मूल के 22 प्रतिशत नागरिक ही उच्च अध्ययन प्राप्त हैं। कार्य करने योग्य कुल भारतीय मूल के नागरिकों में से 88 प्रतिशत को रोजगार प्राप्त है, इनमें से 61 प्रतिशत को पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त है एवं 27 प्रतिशत को अंशकालिक रोजगार प्राप्त है। भारतीय मूल के नागरिकों की औसत आय भी सबसे अधिक है।

इसी प्रकार वर्ष 2011 के उपलब्ध आकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में भारतीय मूल के 14.5 लाख नागरिक निवासरत थे, जो ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का 2.3 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारतीय मूल के नागरिकों में 25 प्रतिशत भारतीय ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और वे उच्च कौशल प्राप्त क्षेत्रों यथा मेडिसिन, कानून, फार्मसी एवं लेखा आदि में रोजगार प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के नागरिकों में बेरोजगारी की दर अन्य देशों के मूल नागरिकों की तुलना में बहुत कम है। भारतीय मूल के नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या डॉक्टर, इंजिनियर, सालिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटंट, शिक्षक एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो ब्रिटेन में बाहरी देशों से आने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त कुल इंजिनियरों में 60 प्रतिशत से अधिक इंजिनियर भारतीय मूल के रहते हैं। ब्रिटेन के कुल स्वास्थ्य सेवाओं (रीटेल सहित) के क्षेत्र में तो 40 प्रतिशत भारतीय ही व्यवसायी के रूप में कार्य करते हैं।

भारत की शान है बनारसी साड़ी

अपनी कलाकृतियों और रेशम के वस्त्रों के लिए काशी भारत ही नहीं दुनियाभर में प्रसिद्ध है। काष्ठ शिल्प, श्रृंगार प्रसाधनों और सज्जात्मक सामानों के लिए भी इसकी देश विदेश में ख्याति है। लेकिन बनारस मुख्यतः अपनी बनारसी साड़ी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी दो सम्प्रदायों के सौहार्द का प्रतीक भी है, क्योंकि साड़ी को तैयार करने के अलग अलग चरणों में हिन्दू व मुस्लिम दोनों सहभागी होते हैं। हाड़तोड़ मेहनत व अपनी कारीगरी की मिशाल बना चुके बनारसी साड़ी के बुनकरों की खासियत है कि वो साड़ियों पर शब्द और तस्वीरों से कहानी बुन देते हैं। उनके बनाए दुपट्टे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी पीएम को भी दिए जा चुके हैं। खास यह है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अब शादी विवाह सहित अन्य शुभ मौके पर बनारसी साड़ी का क्रेज बढ़ा है। खासकर बेटी की विदाई के मौके परिवार के सदस्य बनारसी साड़ी जरुर पहनते है। यही वजह है कि बनारसी साड़ियां सदियों से साड़ियों का सिरमौर रही हैं। बेटी की शादी में दी जाने वाली बनारसी साड़ी एक धरोहर होती हैं। पिछले नौ सालों में कारोबार में 42 फीसदी वृद्धि दर्ज हुई है, जो इसके पटरी पर लौट आने का पुख्ता संकेत है। सिर्फ 2023 में करीब दो से तीन हजार करोड़ का व्यापार हुआ है

सुरेश गांधी

अनगिनत मोतियों का समुंदर है काशी और इसका बेशकीमती नगीना है बनारसी साड़ी, जो दुलहन के तन पे सजी तो सौभाग्य बनी, राजमहलों में गई तो शान का प्रतीक बनी और फैशन में आई तो नए कीर्तिमान गढ़े। खूबियां इतनी कि गिनना मुश्किल, लिखना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। त्योहार हो या शादी ब्याह, बनारसी साड़ियों का क्रेज कभी कम नहीं होता। महिलाएं हर बड़े अवसर पर बनारसी सिल्क की साड़ी पहनती हैं। बनारसी सिल्क दिखने में सुंदर और एलिगेंट लुक देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम कोई भी हो मगर बनारसी साड़ी की डिमांड बाजार में हमेशा बनी रहती है। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसकी वॉर्डरोब में बनारसी सिल्क की साड़ी न हो। लगभर हर महिला को बनारसी सिल्क की साड़ी पहनना अच्छा लगता है। अब फैशन डिजाइनर भी बनारसी साड़ियों का उपयोग करने लगे हैं। फिल्मी नायिकाओं के डिजाइनर अपनी फिल्मों में इन का उपयोग करने लगे हैं। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो अति प्राचीन काल से बनारस के हस्तशिल्प और साड़ी का व्यापार पूरे विश्व में होता रहा है। आज भी यह उज्ज्वल परम्परा बनारस में जीवित है। वाराणसी के कारीगर तरह-तरह के नक्शों और नमूनों में आश्चर्यचकित कर देने वाले विभिन्न प्रकार के मनमोहक साड़ी तैयार करते हैं। वाराणसी के कारीगरों के कला- कौशल की ख्याति सुदूर प्रदेशों तक में रही है। वाराणसी आने वाला कोई भी पर्यटक यहां के रेशमी किमखाब तथा जरी के वस्त्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यहां के बुनकरों की परंपरागत कुशलता और कलात्मकता ने इन वस्तुओं को संसार भर में प्रसिद्धि और मान्यता दिलायी है। विदेश व्यापार में इसकी विशिष्ट भूमिका है। इसके उत्पादन में बढ़ोत्तरी और विशिष्टता से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बड़ी सफलता मिली है।

बता दें, रेशम के धागों की बुनाई और जरी मिला कर तैयार की जाने वाली डिजाइनर साड़ियों को बनारस की साड़ी कहा जाता है। ये साड़ियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के चंदौली, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, मिजार्पुर, भदोही, मुबारकपुर, मऊ, खैराबाद में तैयार की जाती हैं, लेकिन इन सब की पहचान बनारस की साड़ी के रूप में ही होती है। बनारस की साड़ी इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का सब से बड़ा जरीया भी है। सदियां बीतीं, बनारसी साड़ी ने भी वक्त के साथ अपना कलेवर बदला। कभी हाथों से बुनी गई तो अब पावरलूम में बन रही है।

वक्त के साथ इसके डिजाइन भले बदले लेकिन कुछ कलाकारी ऐसी भी रही जो इंसानी हाथों की तलबगार ही है। परंपरागत उद्योग में तेजी का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि यहां कढ़ुआ काम करने वाले हथकरघा बुनकरों की मांग बेहद बढ़ गई है। बढ़िया बुनकरों की भारी कमी महसूस की जा रही है। इस कमी की भरपाई के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। नई पीढ़ी, खासकर महिलाओं को प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। बनारस से सांसद चुने जाने के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए यहां कई सौगातें दीं। हथकरघा क्षेत्र के लिए वाराणसी में नौ कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 10 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर, दीनदयाल हस्तकला संकुल एवं निफ्ट (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग) केंद्र इस उद्योग में नई जान फूंकने में सफल रहे हैं। वहीं देश-विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों में बुनकरों को भेज उन्हें सीधा लाभ दिलाया जा रहा है। यहां लगभग 29,000 हथकरघे हैं, जिनमें से अधिकांश शहर के 10 से 15 मील में फैले हुए हैं। 1958 में 1,25,20,000 रुपये के विनियोजन पर, इस उद्योग से लगभग 85,000 लोगों को रोजगार मिला तथा अन्य 10,000 लोग इसके सहायक व्यवसायों और व्यापार के कार्यों में लगे है।

छह लाख परिवारों की रोजी

बनारस की साड़ियों का कारोबार सदियों पुराना है। मुगलकाल के समय इस की शुरूआत हुई थी। बनारस में पीली कोठी इलाके में 250 सालों से बनारसी साड़ियों को तैयार करने का काम होता है। 1886 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सिल्क इंपोरियम में काम करने वाले यहां के कारीगरों को राजकुमार अल्बर्ट पुरस्कार दिया गया था। बनारसी साड़ियों को पहले कडुवा कहा जाता था और इन्हें तनछुई, जामवार और शिफौन पर बनाया जाता था। जामवार डिजाइन कश्मीर के शौल से प्रभावित थी। जब इन साड़ियों में बनारस की कारीगरी दिखने लगी तो इन को बनारसी साड़ियों के नाम से जाना जाने लगा। एक बनारसी साड़ी को बनाने में करीब 4,200 मूल्य का कच्चा माल खर्च होता है। बनारसी साड़ी तैयार करने से पहले उस का डिजाइन तैयार किया जाता है। इस के बाद हथकरघा से इस डिजाइन का नमूना तैयार होता है। बनारसी साड़ी की कीमत 5,000 से शुरू हो कर लाखों रुपयों तक होती है। पहले पटका, शेरवानी, पगड़ी, साफा, दुपट्टे, बैडशीट, मसनद जैसी चीजें बनाने के लिए इस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन भारत में साड़ियों का चलन अधिक था। ऐसे में इराक और बुखारा शरीफ जैसी जगहों से आए कारीगरों ने साड़ी बनाने का काम शुरू किया। ये साड़ियां हथकरघा का प्रयोग कर के तैयार की जाती थीं। बनारसी साड़ी की बुनाई करने वालों में एक नाम कबीर का भी है। जलालीपुरा के रहने वाले बुनकर मुहम्मद कलीम का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि पहले की तुलना में अब बनारसी साड़ियों के ऑर्डर बढ़े हैं, मेहनताना भी ठीक मिलने लगा है। रमजान अली कहते हैं कि अब भी बिचैलियों और नकली बनारसी साड़ी से असल बनारसी साड़ी और हथकरघा बुनकर जूझ रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ रुपये के सालाना कारोबार वाले इस घरेलू उद्योग में लगभग छह लाख लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पूर्वांचल निर्यातक संघ के अध्यक्ष जुनैद अहमद अंसारी बताते हैं कि प्योर सिल्क, कॉटन और कढ़ुआ साड़ियों का कारोबार बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा बुनकरों को मिल रहा है। 150 रुपया रोजाना पाने वाले हथकरघा बुनकर अब 1000 तक कमा रहे हैं।

डिजाइन

साड़ी पर अमिया, कैरी की डिजाइन समेत फूल पत्तियों के अलावा जानवरों की डिजाइन तैयार की जाती है। इसकी एक और खासियत है कि एक बूटी से दूसरी बूटी के बीच धागे नहीं होते। एक साड़ी को तैयार करने में एक महीने से दो महीने तक का वक्त लगता है। चूंकि समय और मेहनत ज्यादा लगता है इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा होती है। बुनकरों का कहना है कि दशकों से दुनियाभर में मशहूर बनारसी साड़ी की चमक और बढ़ सकती है। अगर यहां के बुनकरों को बेहतर डिजायन (टेक्नोलॉजी) मुहैया कराई जाये। दुनियाभर में अगल पहचान होने से 2009 से बनारसी साड़ी को जियोग्राफिल इंडीकेशन (जीआई) मिला हुआ है। लेकिन अब तक इसका पूरा फायदा नहीं मिला है। फेस्टिव व शादियों का सीजन करीब होने के चलते बनारसी साडियों की डिमांड बढ़ने से और जीएसटी के प्रोसिजर से जुड़ी दिक्कतें दूर होने से इसके कारोबारियों को इस साल भी बनारसी साडियों के बिजनेस में डॉमेस्टिक लेवल पर 20-25 फीसदी की ग्रोथ होने की उम्मीद है। साथ ही विदेशों में भी इस साड़ी की अच्छी डिमांड होने से एक्सपोर्टर्स को इसके एक्सपोर्ट में पिछले साल की तुलना में 5-7 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान है।

1000 करोड़ प्रतिमाह का है साड़ी कारोबार

बनारस में बनारसी साड़ी का बिजनेस लगभग 1000 करोड़ प्रतिमाह का है, जो फेस्टिव व शादियों के सीजन में बढ़कर लगभग 6000 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। कारोबारियों का कहना है कि पावरलूम की बजाय हैंडलूम की बनी बनारसी साडियों की डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह पावरलूम में क्रिएशन की कमी है। आने वाली डिमांड में से 60 फीसदी डिमांड हैंडलूम की बनी साडियों की होती है। इसमें भी ट्रेडीशनल वर्क बहुत ज्यादा डिमांड में है। कई ग्राहक ऐसे भी हैं, जो अपने पूर्वजों व बुजुर्गों के टाइम की डिजाइन की डिमांड करते हैं। वे अपनी दादी-नानी के टाइम की 50 से 70साल पुरानी साड़ी दिखाकर वैसे ही कपड़े व डिजाइन की डिमांड करते हैं और इसके लिए स्पेशल ऑर्डर दिए जाते

हैं। कीमत की बात करें तो नाइलॉन या सिंथेटिक की बनी बनारसी साड़ी की कीमत 1,500रूपए से शुरू होती है, जबकि असली बनारसी कही जाने वाली सिल्क की साड़ी कीमत 3,500 रुपए से लेकर डेढ लाख रुपए तक है। इसके अलावा साड़ी की डिजाइन और कलर के मुताबिक भी कीमत तय होती है। जितनी भारी और बारीक डिजाइन होती है, कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। बनारसी साड़ी दो तरह की होती है, एक फेकुआ और दूसरी कढुआ। ढरकी पर जब साड़ी की बुनाई होती है, उसी वक्त सिरकी से डिजाइन को काढ़ा जाता है। इस कारीगरी में कम से कम दो कारीगरों का होना जरूरी है। एक साड़ी की बिनाई करता है तो दूसरा उसी वक्त इस पर सोने, चांदी, रेशम व जरी के धागों से कढ़ाई करता जाता है।

जब मिशेल ओबामा ने

कहा वाह बनारसी साड़ी

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पत्नी मिशेल ओबामा जब ढाई साल पहले भारत यात्रा पर आए थे, तो मिशेल ओबामा को यही कढुआ साड़ी तोहफे में दी गई थी। क्रीम रंग की बनारसी कढुआ सिल्क की साड़ी बनारस के बुनकरों ने ही तैयार की थी। सोने और चांदी के धागों से हाथ से बुनी उस साड़ी की कीमत करीब डेढ़ लाख थी। बनारसी साड़ी कढुआ बुनाई के लिए मशहूर है। सैकड़ों बरसों पुरानी काशी की ये कला मेहनत और वक्त मांगती है। यही वजह है कि पावरलूम आने के बाद इसके कारीगर कम तो हुए लेकिन इसकी पूछ कहीं से कम नहीं हुई। पावरलूम पर काम करने वालों ने कोशिश बहुत की इसकी कॉपी करने की लेकिन इस कला की ये विशिष्टता ही है जो आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं।

नकली से सावधान

बाजार में बनारसी के नाम पर नकली साड़ियां भी मौजूद हैं। नकली साड़ियों को चीनी सिंथेटिक धागों से तैयार किया जाता है, जबकि बनारसी साड़ी रेशम से तैयार होती है। जीआई टैग, हैंडलूम व सिल्क मार्क लग जाने के कारण नकली साड़ियों के बीच असली की पहचान आसान हो गई है। आमतौर पर भारतीय ग्राहकों को यह पता ही होता है कि असली बनारसी साड़ी की कीमत सामान्य से बहुत अधिक होती है, लेकिन सस्ते के नाम पर नकली साड़ी थमाकर लोगों को ठगा जा रहा है।

बनारसी साड़ी की कीमत

प्योर सिल्क पर रियल गोल्ड व सिल्वर से तैयार परंपरागत बनारसी साड़ी की शुरूआती कीमत 65 हजार रुपये है। अधिकतम कीमत डेढ़ से दो लाख रुपये तक है। सामान्य तौर पर हथकरघा बुनकरों द्वारा बनाई गई ऐसी बनारसी साड़ी, जिसमें सोने-चांदी के तारों का इस्तेमाल नहीं होता और सिर्फ जरी (सोने व चांदी के रंग चमकीला धागा) की कारीगरी होती है, वह कम से कम आठ हजार रुपये की होगी। इससे कम कीमत में मिलने वाली साड़ी बनारसी नहीं होती, वह पावर लूम पर तैयार होती है। यही वजह है कि कई जगहों पर दो-चार हजार रुपये में भी बनारसी साड़ी के नाम पर पावर लूम की बनी साडियों को धड़ल्ले से खपाया जाता है।

खरीदते समय बरतें सावधानी

यदि ग्राहक ऐसी बनारसी साड़ी खरीद रहे हैं, जिसपर जीआइ टैग, हैंडलूम व सिल्क मार्क नहीं है, तो निश्चित तौर पर वह नकली है। जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता और मौलिकता, उत्पादन के स्थान की पुष्टि करता है। सिल्क मार्क रेशमी उत्पादों की पुष्टि करता है। हैंडलूम मार्क बनारसी हथकरघा उत्पादों के लिए हथकरघा विभाग की ओर से दिया जाता है। असली बनारसी साड़ी खरीदने पर बिल में साड़ी में प्रयुक्त रेशम का प्रकार व मात्रा, सोने, चांदी की मात्रा, वजन आदि जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। असली रेशम और सोने-चांदी के तारों व जरी से बनी होने के कारण परंपरागत बनारसी साड़ी भारी होती है। एक सिरा लटका कर देखें, वजन के कारण बीच में झोल अवश्य आएगा।

साड़ी की जान है कढुआ कारीगरी

सदियों पुरानी विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ी की शान है कढुआ कारीगरी जो कि पूरी तरह से हाथ की कला है। यूं कहें कि बनारसी साड़ी की पहचान ही कढुआ से हैं। इसमें ना पावरलूम का इस्तेमाल, ना किसी मशीन का। इसकी डिजाइन इसकी बूटी हस्तकला पर निर्भर है, पूरी तरह से महीन कारीगरी। बूटीदार, आड़ा, जंगला, मीनादार जैसी डिजाइन में अगर कढुआ कारीगरी मिल जाए तो फिर उस बनारसी साड़ी की बात की क्या। इसी बनारसी कढुआ साड़ी के कारीगरों अनवार अंसारी व कलीमुद्दीन को हथकरघा दिवस पर नेशनल अवार्ड और कबीर अवार्ड से नवाजा भी गया है।

बदलाव

शुरूआत में बनारसी साड़ियों में शुद्ध सोने और चांदी से तैयार धागे का प्रयोग किया जाता था। इस को जरी कहते हैं। महंगाई के बढ़ने से शुद्ध सोने और चांदी की जगह पर नकली जरी का उपयोग किया जाने लगा है। यह कीमत में सस्ती होती है। नकली जरी और रेशम के धागे अब चाइना से आयात होने लगे हैं। हथकरघा की जगह भी चाइनीज बुनाई मशीनों ने ले ली है। बनारसी साड़ी में अलगअलग डिजाइन के नमूने तैयार किए जाते हैं। इन नमूनों को मोफिफ कहा जाता है। बनारसी साड़ियों के ये मोफिफ बहुत मशहूर हैं। इन को बेल, बूटी, बूटा,

कोनिया, बेल, जाल, आंचल, जंगला और झालर जैसे नामों से जाना जाता है। पहले बनारस की साड़ियां नक्शा और जाला से बनाई जाती थीं। उस के बाद डाबी और जेकार्ड का प्रयोग होने लगा। अब यह पावरलूम के रूप में विकसित हो चुका है। लेकिन असली साड़िया अब भी साधारण साड़ियों के मुकाबले बहुत कीमती होती हैं, लेकिन नकली जरी से बनी बनारसी साड़ियां कम कीमत में मिलती हैं। नकली जरी के चलते खरीदारों का भरोसा असली बनारसी साड़ियों से दूर होने लगा है। दरअसल, अभी भी ग्राहक असली बनारसी साड़ियों की ही खरीदारी करना चाहते हैं। असली रेशम और सोने-चांदी के तारों व जरी से बनी होने के

कारण परंपरागत बनारसी साड़ी भारी होती है।

महिलाएं भी करती है बुनाई

कड़वा साड़ी बनाने में पूरा परिवार लगता है। पूरे परिवार की औरतें इसपर काम करती हैं। साड़ी का ताना बाना विशेष होता है। जरी का नली भरने से लेकर साड़ी तैयार करने में चार महीने लग जाते हैं। सोने के तारों से तैयार होने वाली साड़ी भी 4 महीने में पूरी होती है और इसकी कीमत लाखों में है। साड़ी का ताना बाना विशेष होता है। ऐसी साड़ियां विशेष ऑर्डर पर बनती हैं। एक साड़ी में जरी 150 ग्राम जरी और उतना ही धागे का वजन होता है। कैलीग्राफी तकनीक से एक दुपट्टा बनाने में एक सप्ताह और एक साड़ी बनाने में एक महीने लगते हैं। मेरे दुपट्टे छह बार पीएम और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आयोध्या में दिया जा चुका है। वैष्णो जन लिखा दुपट्टा सिंजो आबे को काशी आगमन पर भेट किया था। हाथ से बनी साड़ी देश के नामचीन लोगों को भेंट की जा चुकी है। कनेरा टाइटन साड़ी आदित्य बिड़ला ग्रुप को भेजते हैं। तेलंगाना के सांसद प्रभाकर रेड्डी, बीपी पाटिल सहित अन्य विशिष्ट सोगों को साड़ी भेजी है।

दुनिया का सबसे बड़ा मेडीटेशन सेंटर है स्वर्वेद महामंदिर

स्वर्वेद मंदिर का नाम स्वः और वेद से बना है. स्वः का एक अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है आत्मा, वेद का अर्थ है ज्ञान. जिसके द्वारा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसके द्वारा स्वयं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे ही स्वर्वेद कहते हैं. इस मंदिर की दीवारों पर 4000 वेदों से जुड़े दोहे भी लिखे गए हैं. साथ ही मंदिर की बाहरी दीवारों पर उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता आदि से जुड़े चितचित्र बनाए गए हैं जिससे लोग कुछ प्रेरणा लें सकें. जबकि मंदिर की आकृति कमल के फूल जैसा है। इसके शिखर पर 125 पंखुड़ियों वाला कमल की आकृति बनी है। दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडीटेशन सेंटर है, जिसकी नक्काशी कुछ इस कदर है, देखने वालों की निगाहे ठहर सी जाती है। देखने में यह बेहद खूबसूरत है. खास है कि इसमें ध्यान के लिए एक समय में 20,000 लोग बैठ सकते हैं. सात मंजिला इस गुंबद की दीवारों पर स्वर्वेद के छंद उकेरे गए हैं

सुरेश गांधी

मंदिर का नाम स्वर्वेद से लिया गया है, जो शाश्वत योगी और विहंगम योग के संस्थापक सदुरु श्री सदाफल देवजी महाराज द्वारा लिखित एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। संत सदाफल महाराज ने 17 वर्षों तक हिमालय में स्थित आश्रम में गहन साधना की। वहां से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे ही ग्रंथ के रूप में पिरोया। उसी ग्रंथ का नाम स्वर्वेद है। यह महामंदिर वाराणसी के चैबेपुर स्थित उमरहा में है। स्वर्वेद महामंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर भगवान की नहीं, योग- साधना की पूजा होती है। जहां स्व में आत्मा और परमात्मा से सीधा जुड़ाव है। स्वर्वेद महामंदिर का उद्देश्य मानव जाति को अपनी शानदार आध्यात्मिक आभा से रोशन करना है, जिससे दुनिया को शांतिपूर्ण सतर्कता की स्थिति में आच्छादित किया जा सके। मंदिर स्वर्वेद की

शिक्षाओं को बढ़ावा देता है, ब्रह्म विद्या पर विशेष जोर देता है। ज्ञान का एक समूह जो आध्यात्मिक साधकों को संपूर्ण जोन की स्थिति बनाए रखने के लिए सशक्त बनाता है, जो शांति और खुशी में अटूट स्थिरता की विशेषता है। स्वर्वेद के सिद्धांतों की वकालत करते हुए, मंदिर आध्यात्मिक साधकों को स्थिर शांति और खुशी द्वारा चिह्नित पूर्ण शांति की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे सद्विचारों से परिपूर्ण महामंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। स्वर्वेद महामंदिर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन तत्वों का सहज मिश्रण है। जटिल संगमरमर की नक्काशी इसकी संरचना को सुशोभित करती है, और विशाल कमल के आकार के गुंबद वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दशार्ते हैं। सात मंजिला

अधिरचना समकालीन सौंदर्यशास्त्र को अपनाते हुए शहर की आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण के रूप में स्थित है।

बता दें, संत सदाफल महाराज के विश्व के दर्जनों देशों में आश्रम हैं। वाराणसी का यह आश्रम सबसे बड़ा है। करीब 20 वर्षों से इस आश्रम के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है। मकराना मार्बल से बने इस मंदिर की खासियत की चर्चा हर तरफ है। इसे स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना करार दिया जा रहा है। सात मंजिला यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। इस मंदिर में 20 हजार लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। यह मंदिर 64 हजार वर्गफीट में बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण कार्य की शुरू.आत साल 2004 में हुई थी. सात मंजिला स्वर्वेद महामंदिर 68,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और यह शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है. यह एक आध्यात्मिक मंदिर है जो स्वर्वेद को समर्पित है, एक आध्यात्मिक पाठ जिसमें सात मंजिलें हैं जो मूल रूप से 7 चक्रों को समर्पित हैं। स्वर्वेद महामंदिरको कमल के फूल जैसा स्वरूप दिया गया है. स्वर्वेद मंदिर को विहंगम योग यानि कि योग साधकों के लिए बनाया गया है. इस मंदिर में 3000 लोगों के एक साथ बैठ कर प्राणायाम, ध्यान और योग करने की सुविधा है। साथ ही इस महामंदिर में 125 पंखुड़ी वाला कमल गुंबद तैयार किया गया है. इस महामंदिर में सामाजिक कुरीतियों और सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन शामिल है. इसको ग्रामीण भारत की भलाई के लिए अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक परियोजनाओं का केंद्र भी बनाया गया है. मंदिर की नक्काशी में भारतीय विरासत की झलक दशार्ती जटिल नक्काशीदार बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं. मंदिर की दीवारों के चारों ओर गुलाबी बलुआ पत्थर की सजावट भी हैं. मोदी इसके लोकार्पण मौके पर कहा कि स्वर्वेद महामंदिर के उद्घाटन का अर्थ वाराणसी में आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक समृद्धि और आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केंद्र शांति के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो भक्तों को अपनी शानदार दीवारों के भीतर शांति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। सरकार, समाज और संतगण, सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं. आज स्वर्वेद मंदिर

का बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है. उन्होंने कहा, ह्यह्यये महामंदिर, महर्षि सदाफल देव जी की शिक्षाओं, उनके उपदेशों का प्रतीक है.

इस मंदिर की दिव्यता जितनी आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है. इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र-मुग्ध हो गया था. ह्यह्यस्वर्वेद महामंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है. ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ-साथ ये ज्ञानतीर्थ भी है. पीएम मोदी इससे पहल मंदिर में वर्ष 2021 में भी आए थे। इसी दौरान उन्होंने इस मंदिर के लोकार्पण का निमंत्रण स्वीकार किया था। स्वर्वेद महामंदिर के लोकार्पण के साथ ही संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास भी पीएम ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी का स्वर्वेद से जुड़ाव रहा है। उनकी मां हीराबेन अंतिम समय तक स्वर्वेद धाम से जुड़ी रही थीं। पीएम मोदी के भाई भ स्वर्वेद से जुड़े हुए हैं। सात मंजिला अधिरचना में स्वर्वेद के श्लोक हैं, जो इसकी दीवारों पर जटिल रूप से उकेरे गए हैं। यह आध्यात्मिक पाठ पहले से ही विस्मयकारी महामंदिर में पवित्रता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। स्वर्वेद महामंदिर की दीवारें गुलाबी बलुआ पत्थर से सजी हैं, जो संरचना की भव्यता को बढ़ाती हैं। इसके अतिरिक्त, औषधीय जड़ी-बूटियों वाला एक सुंदर उद्यान समग्र सौंदर्य आकर्षण को बढ़ाता है। 35 करोड़ की लागत से करीब 20 साल से बन रहा है। काशी में बना स्वर्वेद मंदिर 180 फीट ऊंचा है. यह ऐसा मंदिर है जो सिर्फ वाराणसी में है दुनिया में और कहीं नहीं। पीएम मोदी के स्वर्वेद मंदिर के उद्घाटन के बाद स्वर्वेद महामंदिर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर कोई यह जानना चाहता है कि स्वर्वेद महामंदिर में ऐसा क्या है।

तारीख पर तारीख का खत्म होगा दौर

कांपेंगे अपराधियों की रुह

मुक्त होगी पुलिसिया गुंडागर्दी

तीनों विधेयकों के कानून बनने के बाद न सिर्फ भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि अपराधियों की रूह कांपने लगेगी। प्रताड़ना करने वालों को अब दंड मिलेगा। पुलिस गुंडागर्दी से मुक्ति और ब्रतानियां कानूनों की निशानियां खत्म होंगी। मतलब साफ है तीन आपराधिक संहिता विधेयक - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित कर दिए हैं। ये महत्वपूर्ण विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लेंगे। लोकसभा व राज्यसभा से इसका पारित होना ऐतिहासिक छड है। यह विधेयक औपनिवेशिक युग के कानून के अंत का प्रतीक है। यह परिवर्तनकारी विधेयक सुधार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह विधेयक संगठित अपराध व आतंकवाद जैसे अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हैं। इन कानून के लागू होने के बाद देश में तारीख पर तारीख का दौर का अंत हो जाएगा। 3 साल में किसी भी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। दावा है कि अगर ये कानून एक बार लागू हो गए तो ये भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साध्य अधिनियम 1872 की जगह ले लेंगे. गृहमंत्री अमित शाह ने इन कानूनों को बदलने के पीछे तर्क दिया है कि इनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों को स्वदेशी बनाना है. एक अरसे से इन कानूनों पर बहस होती रही है क्योंकि ये कानून ब्रिटिश इंडिया के समय से चले आ रहे हैं. आपराधिक कानूनों से संबंधित विधेयक देश में पुलिस राज से मुक्ति और गुलामी की निशानियों को मिटाकर भारतीय परंपरा को स्थापित करने के लिए लाए गए हैं. इन विधेयकों से देश के लोगों को राहत पहुंचने वाली है. या यूं कहे तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा। कहा जा सकता है मोदी सरकार मैकॉले की शिक्षा पद्धति को खत्म करने के बाद अब अंग्रेजों के समय के कानून को बदला गया है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है क्या ब्रतानियां कानूनों की जगह नया कानून कारगर हो पायेगा, क्योंकि इसके लिए ब्रतानियां हुकूमत वाली पुलिसिया मानसिकता को भी बदलनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो तू डाल-डाल मै पात-पात कहावत को चरितार्थ करती पुलिसियां गुंडागर्दी यूं कही चलती रहेगी

सुरेश गांधी

एक सदी से भी अधिक पुराने हो चुके ब्रतानिया कानून की जगह तीन नए बिल प्रस्तुत किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून देश की संप्रभुता, सुरक्षा को प्रभावित करेगा। या यूं कहे नए विधेयकों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, जिसमें ह्लदंडह्ल के बजाय ह्लन्यायह्ल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. प्रस्तावित कानून पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक सख्त प्रणाली साबित होगी। 150 साल पुराना अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून खत्म होगा। नाबालिग से रेप और मॉबलिंचिंग जैसे क्राइम में फांसी की सजा दी जाएगी। सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान

पहुंचाने पर जेल होगी। बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले रेप की धारा 375, 376 थी, अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है। गैंगरेप को भी आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हुआ है। गैंगरेप के आरोपी को 20 साल तक की सजा या जिंदा रहने तक जेल। 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग-अलग सजा मिलेगी। 18 से कम से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा। गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा। 18 साल से कम की बच्ची के साथ रेप में फिर फांसी की सजा का प्रावधान रखा है। सहमति से रेप में 15 साल की उम्र को बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। अगर 18 साल की लड़की के साथ रेप करने पर नाबालिग रेप में आएगा।

किडनैपिंग 359, 369 था, अब 137 और 140 हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 370, 370ए था अब 143, 144 हुआ है। गैर इरादतन हत्या को कैटेगिरी में बांटा गया है। संगठित अपराध की भी पहली बार व्याख्या की गई है, इसमें साइबर क्राइम, लोगों की तस्करी, आर्थिक अपराधों का भी जिक्र है। इससे न्यायपालिका का काम काफी सरल होगा। गैर इरातन हत्या को दो हिस्सों में बांटा। अगर गाड़ी चलाते वक्त हादसा होता है, फिर आरोपी अगर घायल को पुलिस स्टेशन या अस्पताल ले जाता है तो उसे कम सजा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। किसी के सर पर लाठी मारने वाले को सजा तो मिलेगी, इससे ब्रेन डेड की स्थिति में आरोपी को 10 साल की सजा मिलेगी। इसके अलावा कई बदलाव हैं। नए कानून में अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। पहले किसी की गिरफ्तारी होती थी, तो उसके परिवार के लोगों को जानकारी ही नहीं होती थी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। किसी भी केस में 90 दिनों में क्या हुआ, इसकी जानकारी पुलिस पीड़ित को देगी। जांच और केस के विभिन्न चरणों की जानकारी पीड़ित और परिवार को भी देने के लिए कई पॉइंट जोड़े गए हैं। तीनों कानूनों के अहम प्रावधान- भारतीय न्याय संहिता की बात करूं तो इसमें कई मानव संबंधी अपराधों को पीछे रखा गया था। रेप के मामले, बच्चों के खिलाफ अपराधों को आगे रखा गया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- देश में न्याय मिलने में गरीबों को मुश्किल होती है। लेकिन गरीबों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। पुलिस की ओर से दंडित कार्रवाई- ब्तच्ब में कोई समय निर्धारित नहीं है। पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है। तीन दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके थ्स् रजिस्टर करनी होगी। अब बिना किसी देर के रेप पीड़िता की रिपोर्ट को भी 7 दिन के भीतर पुलिस स्टेशन और कोर्ट में भेजना होगा। पहले 7 से 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान था। लेकिन लोग कहते थे, जांच चल रही है ऐसा बोलकर सालों केस लटकाए जाते थे। अब 7 से 90 दिनों का समय रहेगा, अब ये समय पूरा होने के बाद 90 दिनों का ही समय मिलेगा। 180 दिनों के बाद आप चार्जशीट लटकाकर नहीं रख सकते। अब आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर ही आरोपी आरोप स्वीकार कर लेगा तो सजा कम हो जाएगी। उसके बाद सजा कम नहीं होगी। ट्रायल की प्रक्रिया में कागज रखने का प्रावधान नहीं था, अब इसे 30 दिन में पूरा करना होगा। ट्रायलिंग के दौरान अनुपस्थित रहने के मामले में भी प्रावधान किया गया है, कुछ लोगों को इससे आपत्ति हो सकती है। बेशक, गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है. अब तक जो कानून है उसमे दंड दिए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश के लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया है. जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है.

अब दंड नहीं न्याय होगा

संसद में पेश किए गए तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा. भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. देखा जाएं तो एक तरफ राजद्रोह जैसे कानूनों को निरस्त किया गया है, दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने और मॉब लिंचिग जैसे जघन्य अपराधों के लिए दंड का प्रावधान और संगठित अपराधों और आतंकवाद पर नकेल कसने का काम भी किया है. कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल, मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है. एफआइआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है. सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा, पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी. 7 साल या इससे ज्यादा सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को कंपल्सरी किया जा रहा है. इसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य होगा जिसके बाद कोर्ट में दोषियों के बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी. मोदी सरकार नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आजादी के 75 सालों के बाद पहली बार जीरो एफआईआर को शुरू करने जा रही है, अपराध कहीं भी हुआ हो उसे अपने थाना क्षेत्र के बाहर भी रजिस्टर किया जा सकेगा. पहली बार ई-एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है, हर जिले और पुलिस थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से सूचना करेगा. यौन हिंसा के मामले में पीड़ित का बयान कंपल्सरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपल्सरी कर दी गई है.

40 फीसदी केस समाप्त हो जाएंगे

पुलिस को 90 दिनों में शिकायत का स्टेटस और उसके बाद हर 15 दिनों में फरियादी को स्टेटस देना कंपल्सरी होगा. पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 साल या उससे अधिक के कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी, इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी. छोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा भी बढ़ा दिया गया है. अब 3 साल तक की सजा वाले अपराध समरी ट्रायल में शामिल हो जाएंगे. इस अकेले प्रावधान से ही सेशन्स कोर्ट्स में 40 प्रतिशत से अधिक केस समाप्त हो जाएंगे. आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की समयसीमा तय कर दी गई है और परिस्थिति देखकर अदालत आगे 90 दिनों की परमीशन और दे सकेंगी. इस तरह 180 दिनों के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना होगा. कोर्ट अब आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे, बहस पूरी होने के 30 दिनों के अंदर माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा. इससे सालों तक निर्णय पेंडिंग नहीं रहेगा और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा. सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी के विरूद्ध ट्रायल के लिए सरकार को 120 दिनों के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा वरना इसे डीम्ड परमीशन माना जाएगा और ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा. घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लेकर आए हैं, अंतरराज्यीय गिरोह और संगठित अपराधो के विरूद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है. शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार

अपराध की श्रेणी में लाया गया है, गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है.

मॉब लिचिंग पर नकेल कसेगा

18 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान रखा गया है, मॉब लिंचिग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्यु दंड के तीनों प्रावधान रखे गए हैं. मोबाइल फोन या महिलाओं की चेन की स्नेचिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसके लिए भी प्रावधान रखा गया है. हमेशा के लिए अपंगता आने या ब्रेन डेड होने की स्थिति में 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है. अनेक अपराधों में जुमार्ने की राशि को भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया है. सजा माफी को राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग करने के कई मामले देखे जाते थे, अब मृत्यु दंड को आजीवन कारावास, आजीवन कारावास को कम से कम 7 साल की सजा और 7 साल के कारावास को कम से कम 3 साल तक की सजा में ही बदला जा सकेगा और किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा. मोदी सरकार राजद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने जा रही है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और सबको बोलने का अधिकार है. पहले आतंकवाद की कोई व्याख्या नहीं थी, अब सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है. अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया है, सेशन्स कोर्ट के जज द्वारा भगोड़ा घोषित किए गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी, चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे सजा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा.

अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा

कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे और किसी को भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा. इस कानून में महिलाओं और बच्चो का विशेष ध्यान रखा गया है, अपराधियों को सजा मिले ये सुनिश्चित किया गया है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं.फिरहाल, भीड़ की हिंसा के खिलाफ नए कानून की आवश्यकता थी, जो पूरा हो गया। इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक है, क्योंकि भीड़ की हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय से तो आए दिन ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं, जिनमें लोगों का उग्र समूह किसी संदिग्ध अथवा निर्दोष-निहत्थे व्यक्ति से अपने हिसाब से निपट रहा होता है। इस तरह की घटनाओं में लोगों की जान तक जा रही है। चूंकि भीड़ की हिंसा के मामले खुद न्याय करने की मनोवृत्ति के परिचायक हैं, इसलिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं। आम जनता को इसके लिए सचेत करने की भी जरूरत है कि कोई भी किसी को दंड देने का काम अपने हाथ में नहीं ले सकता और जो कोई भी ऐसा करेगा, वह कठोर दंड का भागीदार बनेगा। बेहतर यह होगा कि हाल में भीड़ की हिंसा के जो भी मामले सामने आए हैं, उनमें दोषी लोगों को दंडित करने का काम शीघ्रता से किया जाए। स्पष्ट है कि इसके लिए पुलिस के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया को भी तत्परता का परिचय देना होगा। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कानून तो कड़े कर दिए गए, लेकिन दोषी लोगों को आनन-फानन दंडित करने का सिलसिला कायम नहीं किया जा सका। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भीड़ की हिंसा के मामले में ऐसा न होने पाए।

नए कानून में होंगी इतनी धाराएं

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अब 533 धाराएं रहेंगी. जबकि अब तक इसमें 478 धाराएं थी. 160 धाराओं को बदल दिया गया है. 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जबकि 9 धाराओं को निरस्त किया गया है. इसी तरह भारतीय न्याय संहिता, जो आइपीसी को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी. 175 धाराओं में बदलाव किया गया है. 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है. इसी तरह भारतीय साक्ष्य विधेयक, में पहले की 167 के स्थान पर अब 170

धाराएं होंगी. 23 धाराओं में बदलाव किया गया है. 1 नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं.

आरोपी की गैरमौजूदगी में भी ट्रायल होगा

देश में कई केस लटके हुए हैं, बॉम्बे ब्लास्ट जैसे केसों के आरोपी पाकिस्तान जैसे देशों में छिपे हैं। अब उनके यहां आने की जरूरत नहीं है। अगर वे 90 दिनों के भीतर कोर्ट के सामने पेश नहीं होते हैं तो उसकी गैरमौजूदगी में ट्रायल होगा, फांसी भी होगी, जिससे आरोपियों को उस देश से वापस लाने की प्रोसेस आसान होगी। अब लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, अगर उसने सजा का एक तिहाई समय जेल में गुजार लिया है तो उसे रिहा किया जा सकता है।

आधी सजा काटने पर मिल सकती है रिहाई

गंभीर मामलों में आधी सजा काटने के बाद रिहाई मिल सकती है। जजमेंट सालों तक नहीं लटकाया जा सकता। मुकदमा समाप्त होने के बाद जज को 43 दिन में फैसला देना होगा। निर्णय देने के 7 दिन के भीतर सजा सुनानी होगी। पहले सालों तक दया याचिकाएं दाखिल की जाती थीं। दया की याचिका दोषी की कर सकता है पहले कोई एनजीओ या कोई संस्थान ऐसी याचिकाएं दाखिल करता था। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 30 दिन के भीतर ही दया याचिका दाखिल की जा सकेगी।

तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा

नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के तीन सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। अब आरोपी को याचिका दायर करने के लिए सात दिन मिलेंगे। न्यायाधीश को उन सात दिनों में सुनवाई करनी होगी। मामले का ट्रायल शुरू करने के लिए अधिकतम 120 दिन का समय मिलेगा। पहले प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब अगर कोई अपराध के 30 दिनों के भीतर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो सजा कम होगी। ट्रायल के दौरान दस्तावेज पेश करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने इसे अनिवार्य कर दिया है। 30 दिनों के भीतर सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। इसमें कोई देरी नहीं की जाएगी।

हिन्दू धर्म के रक्षक और एक महान योद्धा गुरु गोविन्द सिंह

भारत की रत्नगर्भा माटी में जन्मे संतपुरुषों, गुरुओं एवं महामनीषियों की श्रृंखला में एक महापुरुष हैं गुरु गोविन्द सिंह। जिनकी दुनिया के महान् तपस्वी, महान् कवि, महान् योद्धा, महान् संत सिपाही साहिब आदि स्वरूपों में पहचान होती है। दुनिया में देश व धर्म की रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुष तो अनेक मिलेंगे किन्तु अपनी तीन पीढ़ियों, बल्कि यों कहें कि अपने पूरे वंश को इस पुनीत कार्य हेतु बलिदान करने वाले विश्व में शायद एकमेव महापुरुष गुरु गोविन्द सिंहजी ही है। जिन्होंने त्याग, बलिदान एवं कर्तृत्ववाद का संदेश दिया। भाग्य की रेखाएं स्वयं निर्मित की। स्वयं की अनन्त शक्तियों पर भरोसा और आस्था जागृत की। सभ्यता और संस्कृति के प्रतीकपुरुष के रूप में जिन्होंने एक नया जीवन-दर्शन दिया, जीने की कला सिखलाई। जिनको बहुत ही श्रद्धा व प्यार से कलगीयां, सरबंस दानी, नीले वाला, बाला प्रीतम, दशमेश पिता आदि नामों से पुकारा जाता है। भारत में फैली दहशत, डर और जनता का हारा हुआ मनोबल देखकर उन्होंने कहा मैं एक ऐसे पंथ का सृजन करूँगा जो सारे विश्व में

विलक्षण होगा। जिससे मेरे शिष्य संसार के असंख्य लोगों में पहली ही नजर में पहचाने जा सकेंगे। जैसे हिरनों के झुंड में शेर और बगुलों के झुंड में हंस। वह केवल बाहर से अलग न दिखे बल्कि आंतरिक रूप में भी ऊँचे, साहसी और सच्चे विचारों वाले हो।

सारे जगत में खालसा पंथ की गूंज करने वाले, हिन्दू धर्म के रक्षक-उद्धारक, मुगलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाले श्री गुरु गोविन्द सिंहजी का जन्म संवत 1723 विक्रम की पौष सुदी सप्तमी को हुआ। उनके पिता गुरु तेगबहादुर उस समय अपनी पत्नी गुजरी तथा कुछ शिष्यों के साथ पूर्वी भारत की यात्रा पर थे। अपनी गर्भवती पत्नी और कुछ शिष्यों को पटना छोड़कर वे असम रवाना हो गये थे। वहीं उन्हें पुत्र प्राप्ति का शुभ समाचार मिला। बालक गोविन्द सिंह के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष पटना में ही बीते। अपने पिता के बलिदान के समय गुरु गोविन्द सिंह की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। इतने कम उम्र में गुरु पद पर आसीन होकर उन्होंने गुरु पद को अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से और भी गौरवान्वित किया। अपने नाम के तीनों शब्द गुरु, गोविन्द एवं सिंह को शब्दशः चरितार्थ कर देश, धर्म, संस्कृति, इतिहास एवं स्वाभिमान की रक्षार्थ ज्ञान के भण्डार के रूप में एक श्रेष्ठ गुरु, ईश्वर की राह के पथ प्रदर्शक तथा सिंह गर्जना के साथ शत्रुओं के छक्के छुड़ा देने वाले गुरु गोविन्द सिंहजी यदि नहीं होते तो मुगलों के अत्याचार के विवश समस्त हिन्दू समाज इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपनी संस्कृति, स्वधर्म, स्वराज एवं स्वाभिमान को सदा के लिये तिलांजलि दे चुका होता।

श्री गुरु गोविन्द सिंहजी शासक होकर भी उनकी नजर में सत्ता से ऊंचा स्वराष्ट्र, स्व-अस्तित्व, समाज एवं मानवता का हित सर्वोपरि था। यूं लगता है वे हिन्दू जीवन-दर्शन के पुरोधा बन कर आए थे। उनका अथ से इति तक का पुरा सफर हिन्दू धर्म की रक्षा, पुरुषार्थ एवं शौर्य की प्रेरणा है। वे सम्राट भी थे और संन्यासी भी। आज उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व और कर्तृत्व सिख इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उन्हें हम तमस से ज्योति की ओर एक यात्रा एवं मानवता के अभ्युदय के सूर्योदय के रूप में देखते हैं।

गुरु गोविन्द सिंह बचपन से ही बहुत पराक्रमी व प्रसन्नचित व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें सिपाहियों का खेल खेलना बहुत पसंद था। बालक गोविन्द बचपन में ही जितने बुद्धिमान थे उतने ही अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी से भी लोहा लेने में पीछे नहीं हटते थे। वे एक कुशल संगठक थे। दूर-दूर तक फैले हुए सिख समुदाय को हुक्मनामे भेजकर, उनसे धन और अस्त्र-शस्त्र का संग्रह उन्होंने किया था। एक छोटी-सी सेना एकत्र की और युद्ध नीति में उन्हें कुशल बनाया। उन्होंने सुदूर प्रदेशों से आये कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। यद्यपि उन्हें बचपन में अपने पिता श्री गुरु तेगबहादुरजी से दूर ही रहना पड़ा था, तथापि तेगबहादुरजी ने उनकी शिक्षा का सुव्यवस्थित प्रबंध किया था। साहेबचंद खत्रीजी से उन्होंने संस्कृत एवं हिन्दी भाषा सीखी और काजी पीर मुहम्मदजी से उन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा ली। कश्मीरी पंडित कृपारामजी ने उन्हें संस्कृत भाषा तथा गुरुमुखी लिपि में लेखन, इतिहास आदि विषयों के ज्ञान के साथ उन्हें तलवार, बंदूक तथा अन्य शस्त्र चलाने व घुड़सवारी की भी शिक्षा दी थी। श्री गोविन्द सिंहजी के हस्ताक्षर अत्यंत सुन्दर थे। वे चित्रकला में पारंगत थे। सिराद-एक प्रकार का तंतुवाद्य, मृदंग और छोटा तबला बजाने में वे अत्यंत कुशल थे। उनके काव्य में ध्वनि नाद और ताल का सुंदर संगम हुआ है। इस तरह गुरु गोविन्द सिंह कला, संगीत, संस्कृति एवं साहित्यप्रेमी थे।

जैसाकि खुद गुरु गोबिंद सिंह ने कहा था, कि जब-जब अत्याचार बढ़ता है, तब-तब भगवान मानव देह का धारण कर पीड़ितों व शोषितों के दुख हरने के लिए आते हैं। औरंगजेब के अत्याचार चरम सीमा पर थे। दिल्ली का शासक हिन्दू धर्म तथा संस्कृति को समाप्त कर देना चाहता था। हिन्दुओं पर जजिया कर लगाया गया साथ ही हिन्दुओं को शस्त्र धारण करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया था। ऐसे समय में कश्मीर प्रांत से पाँच सौ ब्राह्मणों का एक जत्था गुरु तेगबहादुरजी के पास पहुँचा। पंडित कृपाराम इस दल के मुखिया थे।

कश्मीर में हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनसे मुक्ति पाने के लिए वे गुरुजी की सहानुभूति व मार्गदर्शन प्राप्ति के उद्देश्य से आये थे। गुरु तेगबहादुर उन दुःखीजनों की समस्या सुन चिंतित हुए। बालक गोविन्द ने सहज एवं साहस भाव से इस्लाम धर्म स्वीकार न करने की बात कही। बालक के इन निर्भीक व स्पष्ट वचनों को सुनकर गुरु तेगबहादुर का हृदय गद्गद् हो गया। उन्हें इस समस्या का समाधान मिल गया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा-आप औरंगजेब को संदेश भिजवा दें कि यदि गुरु तेगबहादुर इस्लाम स्वीकार लेंगे, तो हम सभी इस्लाम स्वीकार कर लेंगेह्व और फिर दिल्ली में गुरुजी का अमर बलिदान हुआ जो हिन्दू धर्म की रक्षा के महान अध्याय के रूप में भारतीय इतिहास में अंकित हो गया।

गुरु गोबिंद सिंहजी एक साहसी योद्धा के साथ-साथ एक अच्छे कवि भी थे। इन्होंने बेअंत वाणी के नाम से एक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना करने का गोविन्दजी का मुख्य उद्देश्य पंडितों, योगियों तथा संतों के मन को एकाग्र करना था। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुरजी ने तथा इन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध काफी युद्ध लड़े थे। जिन युद्धों में इनके पिता जी शहीद हो गये थे। श्री तेगबहादुरजी के शहीद होने के बाद ही सन् 1699 में गुरु गोविन्द सिंहजी को दशवें गुरु का दर्जा दिया गया था। गुरु गोविन्द सिंहजी ने युद्ध लड़ने के लिए कुछ अनिवार्य ककार धारण करने की घोषणा भी की थी। सिख धर्म के ये पांच क-कार हैं- केश, कडा, कंघा, कच्छा और कटार। ये शौर्य, शुचिता तथा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के संकल्प के प्रतीक है।

इस प्रकार गुरु गोविन्द सिंहजी का जीवन एक कर्मवीर की तरह था। भगवान श्रीकृष्ण की तरह उन्होंने भी समय को अच्छी तरह परखा और तदनुसार कार्य आरम्भ किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं में ब्रह्मचर्य, नशामुक्त जीवन, युद्ध-विद्या, सदा शस्त्र पास रखने और हिम्मत न हारने की शिक्षाएँ मुख्य हैं। उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक भारतवासी सिंह की तरह एक प्रबल प्रतापी जाति में परिणत हो जाये और भारत का उद्धार करें। गुरु गोविन्द सिंह जैसे महापुरुष इस धरती पर आये जिन्होंने सबको बदल देने का दंभ तो नहीं भरा पर अपने जीवन के साहस एवं शौर्य से डर एवं दहशत की जिन्दगी को विराम दिया। काश! आज हम ऐसे महापुरुषों के जीवन को अपने जीवन में जीवन्त बना पाते और जब अपने आपसे पूछते- अन्धेरे और आतंक की उम्र कितनी तो शायद हमारा उत्तर होता-जागने में समय लगे उतनी।

बच्चों का यौन शोषण और भारतीय परिप्रेक्ष्य

भारत सदा से ही अपने मजबूत सांस्कृतिक और सामजिक परिवेश के कारण अलग पहचान के साथ विश्व का मार्गदर्शन करता आ रहा है। हमारी संस्कृति और समाज चिरकाल से ही ऐसे मजबूत मूल्यों पर खड़ा है, जिसने अनेकों विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को कायम रखते हुए न सिर्फ अपना बल्कि विश्व के विकास को भी गति दी है। किंतु हमारी यही विलक्षणता अकसर ऐसी शक्तियों के निशाने पर रही है जो अपनी संस्कृति और सामाजिक ढांचे को हमपर थोपना चाहते हैं। हमारा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से पटा पड़ा है जब हमने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बलिदान दिए हैं।

हालांकि इतिहास के स्थान पर वर्तमान में होने वाले सांस्कृतिक आक्रमणों का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में अपने सांस्कृतिक मूल्यों को थोपने के लिए बच्चों और टीनेजर को निशाना बनाया जा रहा है। कई मायनों में किसी संस्कृति को अपहरित करने का यह सबसे आसान तरीका भी है। कल्याण और नए विचारों को नाम पर बच्चों और टीनेजर के संबंध में ऐसी चचाओं को बल दिया जा रहा है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक ढांचे तथा हमारी चिंताओं के विपरीत हैं। टीनेजर मौमांटिक रिलोशनशिप पर चर्चा एक ऐसा ही विषय है जिसकी मुखालिफत आजकल हमारे देश में भी की जा रही है और अनेक मंचों पर इस पर चर्चा जारी है।

उल्लेखनीय है कि निर्भया मामले के बाद देश में सख्त कानून की मांग हुई औरउसके बाद भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विश्व के सबसे सख्त कानूनों में से एक पॉक्सो अधिनियमलागू हुआ। इसके साथ ही बाल संरक्षण का विस्तृत औ प्रभावी तंत्र भी विद्यमान है। जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों में किसी भी प्रकार के यौन शोषण को अपराध माना गया है। किंतु नई चचाओं में अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि टीनेजर से बनाए गए यौन संबंधों को रोमांटिक रिलेशनशिप बताकर उसे कानून के उलंघन के दायरे से हटाने के प्रयास हो रहे हैं। इस संबंध में जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भी अपुष्ट औ अपरिपक्व हैं।रोमांटिक रिलेशनशिप को मान्यता देना पूर्णतः पश्चिमी देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष का नेतृत्व करता है और भारत के मूल को समझे बिना यहां पर इस तरह की प्रथाओं की मान्यता का समर्थन करना हमें हमारे मूल से विमुख करने का प्रयास है। भारत ने हमेशा मानवता की भलाई को प्राथमिकता दी है और अंतराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करता है जो मानवता के हित में है। किंतु इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ताक पर रखकर कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य हैं जो हमारे मूल सामाजिक ढांचे के विरूद्ध हो।

बात करें ऐसे संबंधों की तो पश्चिमी देशों में वहां के समाज और सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से इसे तवज्जों दी गई होगी। किंतु वर्तमान में पश्चिमी देशों के साथ-साथ विश्व भर में कई देशों में इस तरह के संबंधों के नकारात्मक पहलु भी सामने आए हैं। जिस भी समाज में इसे मान्यता दी गई है वहां पर बच्चों को ग्रूम करके उन्हें यौन शोषण तथा देह व्यापार जैसे घृणित कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के मामले लगातार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह सब रोमांटिक रिलेशनशिप के नाम पर हो रहा हैं, जिससे ऐसा

करने वाले लोग कानून की गिरफ्त में नहीं आते। साथ ही संगठित रूप से इस तरह के रिलेशनशिप का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए भी किया जा रहा है। यह तो एक ऐसा पहलु है जो हम सबके सामने है और अनेको मीडिया रिपोर्ट्स तथा लेखों में इस पक्ष को उजागर किया गया है।

ऐसा नहीं है कि यह उदाहरण सिर्फ विदेशों में दृष्टिगोचर हैं, हमारे समक्ष भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें बालिकाओं को प्रेम के जाल में फंसाकर यौन शोषण तथा अन्य प्रकार के अनैतिक कार्यो के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यह सब तब हो रहा है जब हमारे देश में बच्चों के यौन शोषण के संबंध में एक सख्त कानून प्रभावी हो। रुढ़िवादी मान्यताओ के चलते बाल विवाह मे भी ऐसी दलील दी जाती है हालांकि पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनों का ही प्रभाव है कि यह इस तरह के अवैध कार्य सीमित हैं और हम दोषियों को सजा देकर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगा पा रहे हैं, अन्यथा हमारे देश में भी पश्चिमी देशों की भांति गिरोह बनाकर बालिकाओं को प्रेम जाल में फंसाने का संगठिक व्यापार करने वालो के होंसले बुलंद है`

शिक्षा की ओर देखें तो भारत में आधुनिक शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसमें प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, जो 06-14 आयुवर्ग के बच्चों के 08 कक्षा तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। हम अब इससे आगे बढ़ते हुए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से इसे 12वीं कक्षा तक करने की दिशा में अग्रसर है, जिससे की स्कूल ड्रापआउट को कम करते हुए सभी को शिक्षित किया जा सके।

किंतु एक ओ जहां हम 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहीं बच्चों के रोमांटिक रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर हम उसी क्षण इस अधिकार से वंचित कर देंगे। क्योंकि स्पष्ट है जब बच्चे खासकर टीनेजर ऐसे संबंधों में पड़ते हैं तोवहां उनकी शिक्षा बाधित होने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में जब हम अपने समाज को शिक्षा के शिखर तक पंहुचाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप की परिकल्पना हमारे इस पथ में एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है।

इसके साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि जोबालक-बालिकाएं रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उनके व्यवहार में नकारात्मक बदलावहोने की प्रबल संभावना रहती है और उनकी सामाजिक शिक्षा प्रभावित होती। ऐसे मूल्यवान समय में जब वह अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर आगे का पथ प्रशस्त कर रहे होते हैं, उस समय ऐसे संबंध में आने से न सिर्फ उनकी शिक्षा व्याधित होती है बल्कि देश अपनी मूल्यवान प्रतिभाको भी खो रहा होता है, जिसपर उसका भविष्य टिका है। बात करें अन्य पहलुओं की तो ऐसे संबंधों का स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होता है। यह आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई बालिका प्रेम जाल में फंसकर गर्भवती हो जाती है तो न सिर्फ यह उसके स्वास्थ्य के लिए खराब होता है बल्कि जिस बच्चे को वह जन्म देती है वो भी अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका एक नकारात्मक सामाजिक पहलु भी है। हमारे समाज में रोमांटिक रिलेशनशिप को आमतौर पर सामाजिक स्वीकारिता नहीं मिली है। ऐसे में जब बालिकाएं असुरक्षित यौन संबंधों के कारण गर्भवती होकर किसी बच्चे को जन्म देती है तो सामाजिक स्वीकारिता न मिलने सेमां और बच्चे दोनों का जीवन कष्टकारी हो जाता है। भारत में बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून, नीतियां और योजनाएं उनकी आयु के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन सभी पहलुओं के मद्देनजर ही बच्चों के सभी प्रकार के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान विशेषकर बच्चों के संबंध में लाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा कोई गैर सांस्कृतिक औ सामाजिक पहलु जो उस समाज में ही पूर्णतः फलिभूत नहीं है जहां उसका प्रादुर्भावहुआ है तो दूसरा समाज उसको कैसे मान्यता दे सकता है, जिसका अपना समाज स्थायी और आदर्श मूल्यों पर स्थापित हो तथा उसकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हों। वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का यही उद्देश्य है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए देश के विकास को दिशा दे। अतः ऐसे में हम किसी भी ऐसी परिकल्पना जिसका उद्देश्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विरूद्ध होतथा समाज में नई तरह की चुनौतियों को जन्म दे, मान्यता नहीं दी जा सकती। हम अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं।

कितना पूरा हुआ बालिका शिक्षा पर सावित्री बाई फुले का सपना

सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम शिक्षाविद्, समाज सुधारक और मराठी लेखक व कवियत्री थीं। उन्होंने उन्नीसवीं सदी में अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्त्री अधिकारों, छुआछुत, सतीप्रथा, विधवाविवाह, बालविवाह, अंधविश्वास, के खिलाफ संघर्ष किया। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गॉव में हुआ था। 9 साल की आयु में उनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ हुई। जब विवाह हुआ था उस समय तक उनको स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी। उनके पिता का मानना था कि शिक्षा का अधिकार केवल उच्च जाति के पुरुषों को ही था। जबकि उनके पति ज्योतिराव फुले की सोच थी कि दलित और महिलाओं की आत्मनिर्भरता, शोषण से मुक्ति और विकास के लिए सबसे जरुरी है शिक्षा। उन्होंने इसी सोच को जमीनी हकीकत में उतारने की शुरूआत सावित्रीबाई फुले को शिक्षित करने से की।

सावित्रीबाई ने ज्योतिबा के साथ मिल कर 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसमें दबी-पिछड़ी जातियों के बच्चे, विशेषकर लड़कियाँ की संख्या ज्यादा थी। सावित्रीबाई का रोज घर से विद्यालय जाने का सफर बहुत मुश्किलों से भरा होता था। जब वो घर से निकलती थी तो लोग उनके ऊपर सड़े टमाटर, अंडे, कचरा, गोबर और पत्थर फेंकते थे। तब वो विद्यालय पहुँच कर अपने साथ लायी दूसरी साड़ी को पहनती थी। 1 जनवरी 1848 से 15 मार्च 1852 के दौरान सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 विद्यालय खोले। उस दौर में ऐसा सामाजिक क्रांतिकारी पहल पहले किसी ने नही की थी। 1849 में उस्मान शेख के घर पर मुस्लिम स्त्रियों व बच्चों के लिए स्कूल खोला। सावित्रीबाई अपने विद्यार्थियों से कहा करती, कड़ी मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा काम करो।

सावित्रीबाई फुले ने स्त्री की दशा सुधारने के लिए 1852 में ह्वमहिला मंडलह्व, ज्योतिबा के साथ मिलकर 1853 में बाल-हत्या प्रतिबंधक-गृह, 1855 में मजदूरों के लिए रात्रि पाठशाला खोला गया। विधवाओं के सिर मुंडन प्रथा के खिलाफ भी ये दम्पति खड़ा हुआ। इन्होनें अपने घर के भीतर पानी के भंडार को दलित समुदाय के लिए खोल दिया। 24 सितम्बर 1873 को फुले दम्पति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कर विधवा विवाह की परंपरा शुरू की। पुणे में अकाल के दौरान इन्होनें बच्चों और गरीब जरूरतमंद लोगों के लिये मुफ्त

भोजन की व्यवस्था की। 1897 में पुणे में प्लेग की भयंकर महामारी के दौरान सावित्रीबाई ने अपने दत्तक पुत्र यशवंत की मदद से एक हॉस्पिटल खोला। वे बीमार लोगों के पास जाती, सेवा और देख-भाल करती, हॉस्पिटल लातीं थीं। इस प्रक्रिया में वो भी महामारी की चपेट में आ गयी और 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फुले की इस बीमारी के चलते निधन हो गया। सावित्रीबाई ने अनेक लेखों और कविताओं के माध्यम से सामाजिक चेतना जगायी। इनकी कुछ प्रमुख रचनायें हैंझ्र काव्य फुले,बावनकशी सुबोध रत्नाकर,मातोश्री के भाषण,बावनकाशी सुबोध रत्नाकर आदि।

सावित्रीबाई फुले के इन्ही प्रयासों के कारण महिलाओं को शिक्षा मिलने की शुरूवात हुई परन्तु इतने सालों बाद भी बच्चियां शिक्षा के मामले में पिछड़ी और वंचित हैं। इसके पीछे कई कारण हैं जो आज भी कम-ज्यादा रूप में अनवरत जारी हैं। हमारा समाज पितृसत्तात्मक सोच से ग्रसित है जिसके कारण बालिका शिक्षा को लेकर आज भी परिवार और समाज की सोच है कि बालिका पराया धन है, इसे आगे चल कर ससुराल जाना है, घर परिवार की देखभाल/ चूल्हा चौका ही करना है, इसलिए वो इतनी ही शिक्षा प्राप्त कर ले जिससे उसे हिसाब-किताब, थोडा पढ़ना-लिखना आ जाए। परिवार का जोर उसे घर के कामों को सिखाने में ज्यादा होता है। बच्चियों का आज भी बाल विवाह होना जारी है जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती हैं।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा न होना, स्कूलों का लगातार बंद होना, अधोसंरचना-पर्याप्त शिक्षक/स्टाफ की कमी, शौचालय का न होना,ताला लगा होना,पानी न होना और अगर है तो उसकी साफ-सफाई न होना भी बच्चियों के स्कूल न जाने के कारण हैं। यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021: नो टीचर नो क्लास नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1।10 लाख ऐसे स्कूल हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। वही शिक्षकों के 11।16 लाख पद खाली पड़े हैं इनमें से ज्यादातर 69 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों के स्कूल हैं।

स्कूल न जाने/छोड़ने का एक अहम्-कारण सुरक्षा भी हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखें तो लड़कियों के प्रति हिंसा लगातार बढ़ रही है। ये बड़ी विडंबना है कि ज्यादातर बड़ी कक्षा के स्कूल या तो गावं के बाहर या दूसरे गावं में होते हैं। जिसके कारण बच्चियों को पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है और रास्ते में लड़के खड़े हो कर लड़कियों के साथ छेड़छाड़,गंदी बातें/हरकतें करते हैं। इसी के कारण परिवार वाले बच्चियों को स्कूल में भेजना नहीं चाहते हैं और ये भी देखने में आता है कि अगर स्कूल जाते समय किसी बच्ची के साथ लैंगिक हिंसा होती है तो उसका असर आसपास के कई गावं के बच्चियों की शिक्षा पर पड़ता हैं।

माँ और पिता रोजगार के लिए पलायन या कमाने जाते हैं तो बड़ी बच्ची स्कूल न जा कर अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती हैं और थोड़ी बड़ी होने पर खुद भी काम पर लग जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार निशुल्क शिक्षा के चलते बच्चियों को कक्षा 8 तक पढ़ाते हैं लेकिन कक्षा 9 से लगने

वाली फीस देने में असमर्थ रहते हैं जिसके कारण वो बच्चियों को आगे नहीं पढ़ाते हैं।

किशोरावस्था में बच्चियों के साथ कई बार स्कूलों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्हें किसी महिला की जरुरत होती है, कई सारी बातें ऐसी होती हैं जिसे बच्चियां अपने घर में भी नहीं बताना चाहती हैं ऐसे समय में महिला शिक्षक उन्हें सहयोग और उचित सलाह दे सकती है लेकिन गावों के स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या कम या होती ही नहीं है। अगर बालिका को स्कूल में महावारी हो जाए तो सेनेटरी पैड उपलब्ध नहीं होता है। सामाजिक संस्था दसरा द्वारा 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2।3 करोड़ लड़कियों के हर साल स्कूल छोड़ने का कारण माहवारी के दौरान स्वच्छता के लिए जरूरी सुविधाओं जैसे सैनिटरी पैड्स और जानकारी का उपलब्ध नहीं होना हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने एक अध्ययन में बताया है कि भारत में 71 फीसदी किशोरियों को माहवारी के बारे में जानकारी नहीं है। उन्हें पहली बार माहवारी होने पर इसका पता चलता है। और ऐसा होते ही उन्हें स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है।

देखने में आता है कि कई आदिवासी परिवारों में उनके लड़के/लड़कियां फस्ट लर्नर है और इन्हें घर से किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिल पाता है जिससे ये धीरे धीरे अन्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। पारधी जनजाति के प्रति पूर्वाग्रह होने के कारण इनके साथ स्कूलों में भेदभाव होता है, कही भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस इन्ही पर शक करती है जिसके कारण पुरुष ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं और महिलाओं और बच्चियों को काम करना पड़ता है। इसी तरह बेडिया जनजाति में बच्चियों को स्कूल के बदले उनके ट्रेडिशनल काम (वेश्यावृत्ति) में लगा दिया जाता है।

इधर कोरोना महामारी के काल में शिक्षा का सबसे ज्यादा नुकसान बच्चियों को हुआ है। ज्यादातर बच्चियां आनलाइन शिक्षा प्राप्त नहीं कर पायी हैं और अब वो अपनी कक्षा के अन्य बच्चों से पिछड गयी हैं। कोरोना के पहले जो कुछ आता भी था वे उसे इतने समय में भूल भी गयी होगी। अब इन बच्चियों के आगे की शिक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। कोरोना महामारी के कारण लोगों के रोजगार चले जाने से आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है जिसके चलते लड़के-लड़कियां मजदूरी करने को मजबूर हैं। जैसे निमाड़ में कपास चुनने के लिए कोमल हाथ की जरुरत होती है तो 10 से 18 साल की बच्चियों को इस काम में रखा जाता है। ये बच्चियां अपनी पढ़ाई छोड़ कर घर में आर्थिक सहयोग देने के लिए यहाँ काम करती हैं।

देश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सही समय पर नहीं मिल पाता है। अगर इन विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर मिले तो बालिकाओं के शिक्षा ग्रहण करने में बढ़ोतरी होगी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने के लिए जेन्डरझ्र समावेशी कोष बनाने की बात की हैं । इस कोष से राज्यों को महिला सम्बन्धी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि को लागू करने में सहायता मिलेगी जिससे बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा, विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा। सावित्री बाई फुले का ये सपना था कि देश की हर बच्ची/महिला शिक्षित हो। परिवार और समाज में ये विश्वास लाना होगा कि बालिका शिक्षा का महत्व क्या है और अगर बच्चियों को मौका दिया जाए तो वो जीवन में आगे बढ़सकती हैं।

स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाने के किए थे प्रयास

स्वामी विवेकानन्द जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकत्ता में हुआ था। आपका बचपन का नाम श्री नरेंद्र नाथ दत्त था। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्म की ओर था। आपने श्री रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली थी एवं अपने गुरु जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। आपने बचपन में ही अपने गुरु जी से यह सीख लिया था कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का अस्तित्व है अतः जरूरतमंदों की मदद एवं जन सेवा द्वारा भी परमात्मा की सेवा की जा सकती है। अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में विचरण, यह ज्ञान हासिल करने के उद्देश्य से, किया था कि ब्रिटिश शासनकाल में इन देशों में निवास कर रहे लोगों की स्थिति कैसी है। कालांतर में वे स्वयं वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। आपको वर्ष 1893 में शिकागो, अमेरिका में आयोजित की जा रही विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था। विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी को अपनी बात रखने के लिए केवल दो मिनट का समय दिया गया था परंतु उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत ही ह्लमेरे अमेरिकी बहनों एवं भाईयोंह्व कहकर की थी, इस सम्बोधन से प्रभावित होकर समस्त उपस्थित प्रतिनिधियों ने खड़े होकर बहुत देर तक तालियों की गड़गड़ाहट की बीच स्वामी विवेकानंद जी का अभिवादन किया था। स्वामी विवेकानंद जी के इस प्रथम वाक्य ने ही वहां उपस्थित सभी प्रतिनिधियों का दिल जीत लिया था।

स्वामी विवेकानंद जी का मूल स्वभाव राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से ओतप्रोत था। आपने राष्ट्रीय भाव में आध्यात्मिक एवं धर्म को जोड़कर इसे धारदार बनाने के प्रयास किया था। आपका मजबूत विचार था भारत को अपने आध्यात्म एवं धर्म के बल पर पश्चिम को पुनः जीतना ही होगा। आपका यह प्रबल विश्वास था कि भविष्य में धर्म ही भारत का मेरुदंड बनेगा। इस प्रकार आप भारत के अतीत का आह्वान कर भविष्य के भारत का निर्माण करना चाहते थे। आप भारत राष्ट्र की महत्ता एवं एकता के पोषक थे। आपके द्वारा राष्ट्रीय उन्नति एवं जागरण के लिए दिया गया सशक्त वक्तव्य आज भी भारतीयों के लिए प्रेरणदायक है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि हम राष्ट्र के रूप में अपना व्यक्तित्व विस्मृत कर बैठे हैं, और यही इस देश में सब दुष्कर्मों की जड़ है। हमें देश को उसका खोया हुआ व्यक्तित्व वापस लौटाना ही होगा और फिर जनता का उत्थान करना होगा। प्रत्येक देश में जो बुराईयां देखने को मिलती हैं वे धर्म के कारण नहीं है बल्कि धर्मद्रोह के कारण हैं, इसलिए दोष धर्म का नहीं है बल्कि हम मनुष्यों का है।

स्वामी विवेकानंद जी मानव की अंतः प्रकृति को उसकी बा प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आप कहा करते थे कि मानव रुपया बनाता है, रुपया मानव नहीं बनाता अतः मनुष्य का सारा सुख उसके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन पर निर्भर है। यदि मानव जीवन इस तत्व से विहीन है तो किसी भी तरह की राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था, किसी भी तरह का समाज, किसी भी तरह की विश्व व्यवस्था, किसी भी तरह की वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि और कितना भी सम्पन्न भौतिक जीवन उसे सुख नहीं पहुंचा सकता।

स्वामी दयानंद की भांति स्वामी विवेकानंद जी भी भारतीय समाज की रूढ़ियों को तोड़ने और

सामाजिक परिवर्तन के इच्छुक थे। समाज में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को सामाजिक समानता मिलनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक मानव में आत्मा एक ही है जो कि परम ब्रह्म का स्वरूप है। सामाजिक समानता का अभिप्राय यह नहीं है कि समाज में सब वर्गों व वर्णों को समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक ही वर्ग हो। वर्ग और वर्ण तो बने रहेंगे क्योंकि ये समाज के आवश्यक अंग हैं। इनका विकास और निर्माण सामाजिक आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप हुआ है। परंतु, अन्य समस्त वर्णों के मध्य असमानता को किसी भी स्तर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। समाज को विभिन्न वर्गों के मध्य संघर्ष का अखाड़ा न बनाया जाए न तो किसी वर्ग को उच्च समझा जाए और न ही निम्न। बल्कि हर एक वर्ग और वर्ण को अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। मानव जीवन की श्रेष्ठता त्याग और बलिदान में हैं, स्वार्थ सिद्धि में नहीं। इसलिए वर्गों के मध्य संघर्ष न होकर सामंजस्य होना चाहिए।

स्वामीजी के उक्त विचार कार्ल मार्क्स के विचारों के विपरीत हैं। मार्क्स ने समाज में वर्ग के संघर्ष को स्वाभाविक माना है। जितना तीव्र यह संघर्ष होगा उतना ही शीघ्र समाज में परिवर्तन आएगा, इस परिवर्तन को शीघ्र लाने के लिए क्रांति द्वारा सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। इसके विपरीत स्वामी विवेकानंद जी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तनों के विरुद्ध हैं। अरस्तू की भांति वे स्वीकार करते हैं कि समाज जो कुछ भी अपनाता है, आवश्यकता के कारण अपनाता है। अगर उसको क्रांति द्वारा बदल दिया जाए तो तनाव उत्पन्न होगा। इस तनाव में लाभ के स्थान पर हानि अधिक होगी। भारतीय समाज में तो यह बात और भी अधिक लागू होती है। स्वामी विवेकानंद जी अपने ओजस्वी व्याख्यानों में बार बार यह आह्वान करते थे कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। उनके ये वाक्य उनके श्रोताओं को बहुत प्रेरणा देते थे। उनका यह भी कहना होता था कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है अतः हमें अपने अंतर्मन एवं बाहरी स्वभाव को सुधारकर अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानना चाहिए।

कर्म, पूजा, अंतर्मन अथवा जीवन दर्शन के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। जीवन में सफलता के राज खोलते हुए आप कहते थे कि कोई भी एक विचार लेकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनायें एवं उसी विचार के बारे में सदैव सोचें, केवल उसी विचार का सपना देखते रहें और उसी विचार में ही जीयें। यही आपकी सफलता का रास्ता बन सकता है। आपके दिल, दिमाग और रगों में केवल यही विचार भर जाना चाहिए। इसी प्रकार ही आध्यात्मिक सफलता भी अर्जित की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपीयन देशों में कई निजी एवं सार्वजनिक व्याख्यानों का आयोजन कर महान हिन्दू संस्कृति के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया एवं उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन विश्व के कई देशों में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा उस समय किए गए प्रसार की कड़ी के माध्यम से ही पहुंच सका है। केवल 39 वर्ष की आयु में दिनांक 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी ने सदगदी प्राप्त की थी। भारत में आज स्वामी विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। केवल 39 वर्ष के अपने जीवनकाल में स्वामी विवेकानंद जी ने देश के लिए किए जो कार्य किए, वे कार्य आने वाली शताब्दियों तक भारत में याद किए जाते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था कि ह्वयदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानन्द को पढ़िये। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पायेंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं।ह्व स्वामी विवेकानंद जी केवल संत ही नहीं थे बल्कि एक महान विचारक, देशभक्त, मानवप्रेमी एवं कुशल वक्ता भी थे।

आज पूरा विश्व ही जैसे हिन्दू सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित होता दिख रहा है। विश्व के लगभग समस्त देशों में भारतीय न केवल शांतिपूर्ण ढंग से निवास कर रहे हैं बल्कि हिन्दू सनातन संस्कृति का अनुपालन भी अपनी पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। भारत ने हिन्दू सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए कोरोना महामारी को जिस प्रकार से सफलतापूर्वक नियंत्रित किया था, उससे प्रभावित होकर आज वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। हाल ही में अमेरिका, जापान, रूस, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि अन्य कई देशों में हिन्दू सनातन धर्म को अपनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। विदेशों में हिन्दू सनातन संस्कृति की ओर लोगों का आकर्षण एकदम नहीं बढ़ा है इसके लिए बहुत लम्बे समय से भारत के संत, महापुरुषों एवं मनीषियों द्वारा प्रयास किए जाते रहे हैं। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद जी द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्यों को आज उनके जन्म दिवस पर याद किया जा सकता है।

एफटीएक्स के दिवालियेपन से क्या कोई सबक लिया जाएगा ?

क्रिप्टोकरेंसी का प्रमुख एक्सचेंज, एफटीएक्स 11 नवंबर को पूरी तरह से बैठ गया। बहुत से लोगों ने इस परिघटना को 2008 के वित्तीय संकट के दौरान, निवेश बैंकिंग फर्म लेहमान ब्रदर्स के दीवाले के बराबर करार दिया । उनका मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के लिए एफटीएक्स का बैठना उतनी ही महत्वपूर्ण घटना है, जितनी महत्वपूर्ण घटना आधिकारिक या सरकारी वित्तीय प्रणाली के लिए लेहमान ब्रदर्स का बैठना था।

एफटीएक्स का उत्थान

वास्तव में, एफटीएक्स के बैठने से पहले भी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में भारी गिरावट हुई थी। सारी की सारी क्रिप्टोकरेंसियों का कुल मूल्य, जो 2021 के आखिर में 20 खरब डालर आंका जा रहा था, 2022 के सितंबर के अखिर तक गिरकर इससे आधा ही रह गया था। एफटीएक्स के बैठ जाने से क्रिप्टोकरेंसी की पूरी की पूरी व्यवस्था को और भी धक्का लगना तय है।

एफटीएक्स की स्थापना 2019 में मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी के एक छात्र, सेम बैंकमेन-फ्रीड ने की थी। इसकी स्थापना एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के रूप में की गयी थी, जो अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसियों के आपस में विनिमय और क्रिप्टोकरेंसी तथा अधिकृत मुद्रा के बीच विनिमय को संभालता था। इसके अलावा, वह एफटीटी के नाम से अपनी ही क्रिप्टोकरेंसी भी जारी करता था। वर्तमान स्वीकृत मुद्रा या वायदा क्रिप्टोकरेंसियों का लेन-देन भी करता था और डेरीवेटिव तथा ऑप्शन बेचता था। इस तरह यह बहुत मानों में एक बैंक की तरह ही काम करता था, जो वर्तमान में डालर या यूरो या क्रिप्टोकरेंसी में धन, भविष्य में उसे बढ़ाकर लौटाने के वादे के साथ जमा करता था। इसकी वृद्धि दर इतनी जबरदस्त थी कि सिर्फ तीन साल में यह क्रिप्टोकरेंसी का कारोबार के परिमाण के हिसाब से पांचवां और होल्डिंगों के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका था।

एफटीएक्स के इस असाधारण उछाल में उसके द्वारा उठाए गए कई कदमों ने उसके असाधारण रूप से चर्चित होने में मदद की थी। डैमोक्रेटिक पार्टी के लिए उसका राजनीतिक चंदा, अगर जॉर्ज सोरोस को छोड़ दिया जाए तो, सबसे बड़ा चंदा था। उसने कई खेल आयोजनों को प्रायोजित किया था और अनेक जाने-माने खिलाडि?ों के साथ घनिष्ठ सहयोग का रिश्ता कायम किया था, जैसे पूर्व-बॉस्केट बॉल सितारे शाक्विले ओ नील और वर्तमान टेनिस सितारे, नाओमी ओसाका। इसी प्रकार वह यूक्रेन सरकार के खास समर्थकों में था, जिसने एक ह्यूक्रेन के लिए मददह्न कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें इसके वादे के साथ क्रिप्टोकरेंसी में चंदे स्वीकार किए जाते थे और इसके बदले में आधिकारिक मुद्रा में रकम नेशनल बैंक आफ कीव में जमा कर दी जाती थी।

बहरहाल, उसका पराभव भी उतना ही अचानक हुआ, जितना नाटकीय उसका उदय था। उसकी अपनी डिजिटल मुद्रा, एफटीटी की खासी बड़ी राशि अलमेडा नाम की एक फर्म के पास थी, जिसकी मिल्कियत भी एफटीएक्स के मुखिया, सेम बैंकमेन-फ्रीड के ही हाथों में थी। जब अलमेडा की बैलेंस शीट लीक होकर बाहर आ गयी, इसकी बदहवासी फैल गयी कि अगर किसी संयोग से एफटीटी की कीमत में

गिरावट आयी, तो यह उसके दाम के बुरी तरह से बैठने का रूप ले सकता है। इस बदहवासी में, उसके प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्म, बिनान्स ने अपनी एफटीटी की मिल्कियत को बाजार में निकालना शुरू कर दिया और इससे ठीक उसी प्रकार से वास्तविक पतन शुरू हो गया, जैसा कि किसी बैंक के बैठने के मामले में होता है। वास्तव में यहां किसी बैंक के बैठने जैसा ही दृश्य था और उसकी वजह भी ठीक वैसी ही थी यानी अचानक आयी धन की निकासी की मांग का सामना करने के लिए पर्याप्त संचित कोष का या आसानी से बेचे जा सकने वाली परिसंपत्तियों का अभाव। व्यवहार में सेम बैंकमेन फ्रीड एक पोंजी स्कीम चला रहा था, वह चोरी-छिपे जमा राशियों को अन्यत्र लगा रहा था।

बिनान्स ने कुछ समय तक तो एफटीएक्स को खरीद ही लेने की सोची, पर आखिरकार इस विचार को छोड़ दिया। बेशक, एफटीएक्स की डैमोक्रेटिक पार्टी तथा राष्ट्रपति जो बाइडेन से नजदीकियों के बावजूद, उसे संकट से उबारने के लिए सरकार से अपील किए जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। आखिरकार, क्रिप्टोकरेंसी की तो समूची संकल्पना ही सरकार की जांच-परख से बाहर ही बने रहने पर आधारित है। इस सबके चलते एफटीएक्स के पास टाट उलटने यानी अपने दीवाले की घोषणा करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह गया था और सेम बैंकमेन-फ्रीड ने 11 नवंबर को यही किया। यही वह जगह है जहां पहुंचकर, एफटीएक्स और लेहमान बदर्स के दीवालों की समानता, अपने-अपने क्षेत्रों में दोनों के बैठने के सारे महत्व के बावजूद खत्म हो जाती है। लेहमान ब्रदर्स का प्रभाव, 'आवासन के बुलबले' के फूटने का नतीजा था। और इसके बुलबुला बनने के कारण था, इसके दीर्घजीवी होने की बढ़ी-चढ़ी प्रत्याशाएं और ऐसी संस्थागत व्यवस्थाओं के विकास के चलते, जो व्यवस्थित तरीके से संबंधित लेन-देन के जोखिमों को ढांपने का काम करती थीं। अगर अनेक निवेश बैंकों के पास खराब परिसंपत्तियां जमा हो गयी थीं, तो इसकी वजह यही नहीं थी कि ये संस्थाएं लालच में पडकर या असावधानी से निर्णय कर रही थीं। इसके बजाए, इसका सबसे बढकर कारण यह था कि जिस तरह की संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित हुई थीं, उनके चलते यह जान पाना ही मुश्किल हो गया था कि खराब या खतरे वाली परिसंपत्तियां कौन सी हैं, ताकि खराब और स्वस्थ परिसंपत्तियों के बीच अंतर किया जा सकता।

और परिसंपत्तियों के मूल्य के बुलबुले को व्यवस्था की त्रुटि कहकर छोड़ देना, जैसाकि अनेक उदारपंथी अर्थशास्त्रियों ने उक्त संकट के फूटने के बाद किया भी था, सिर्फ घटना घट जाने के बाद अक्ल आने भर का मामला नहीं था। इसे सिर्फ व्यवस्था की त्रुटि कहकर छोड़ देना, वास्तव में इस असली नुक्ते को देख ही नहीं पाना है कि वह तथाकथित त्रुटि ही तो वास्तव में वह तंत्र है जिसके जरिए नवउदारवादी पूंजीवाद ने उक्त उछाल पैदा किया था। दूसरे शब्दों में लेहमान ब्रदर्स का बैठना तो वास्तव में नव-उदारवादी पूंजीवाद की कार्य पद्धति का ही नतीजा था।

लेकिन, क्रिप्टोकरेंसी का विकास मौजूदा व्यवस्था की कार्य पद्धति का हिस्सा नहीं है। यह तो इस व्यवस्था का एक बाहर उपांग भर है, जिसके कट जाने से भी

इस व्यवस्था की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। संक्षेप में यह कि एफटीएक्स के दीवालिया होने से, पूंजीवाद पर उस तरह से झटका नहीं लगने वाला है, जैसे लेहमान ब्रदर्स के डूबने से लगा था। क्रिप्टोकरेंसी तो किसी माल की तरह बल्कि और ज्यादा सही तो यह होगा कि यह एक प्रतिभूति की तरह है, जो किसी भी सरकारी निगरानी से परे पैदा हुई हो तथा रखी जा रही हो। वास्तव में इसी में तो इस तरह की परिसंपत्तियों के धारकों के लिए, इन परिसंपत्तियों का आकर्षण छुपा होता है। क्रिप्टोकरेंसी जिस तरह के धुंधलके में काम करती है, उसमें इसके संचालन के संबंध में कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि एफटीएक्स की मुद्रा, एफटीटी खरीदने व जमा कर के रखने वालों को, काफी समय तक तो अलमेडा नाम की फर्म की बैलेंस शीट की स्थिति का और यहां तक कि उसकी मिल्कियत का भी अता-पता ही नहीं था, जबकि इसका स्वामित्व भी सेम बैंकमेन-फ्रीड के ही पास था। और इसमें भी हैरानी की बात नहीं है कि एफटीएक्स के खातों की शायद ही समुचित तरीके से ऑडिटिंग हुई होगी, वर्ना इस तरह की ऑडिटिंग में सेम बेंकमेन-फ्रीड की हेरफेरियां अवश्य ही उजागर हो गयी होतीं।

क्रिप्टोकरेंसी, एक धुंधलके में काम करने वाली व्यवस्था से आती है, जो पूंजीवादी व्यवस्था के गिर्द विकसित हुई है। इस धुंधलके वाली व्यवस्था से, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाड़ी अच्छे-खासे निजी फायदे बटोरते हैं, मिसाल के तौर पर अपनी ऐसी परिसत्तियों को लगाना, जो आधिकारिक हिसाब-किताब से बाहर हैं। फिर भी यह धुंधलके वाली व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था की कार्य-प्रणाली का आवयविक हिस्सा नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था के काम-काज के साथ, हेरा-फेरी के धंधे भी लगे रहते हैं, फिर भी जैसाकि मार्क्स ने बड़ी मेहनत से रेखांकित किया था, पूंजीवादी व्यवस्था को सिर्फ हेरा-फेरी की व्यवस्था की तरह देखना, एक भारी भूल करना होगा।

अचरज की बात नहीं है कि अमरीकी सरकार ने एफटीएक्स को बचाने की उस तरह से कोई कोशिश नहीं की थी, जिस तरह से उसने लेहमान ब्रदर्स के बैठने के बाद, अमरीका की शेष वित्तीय व्यवस्था को बचाने की कोशिश की थी। ओबामा प्रशासन ने उस समय इस काम के लिए 130 खरब डालर उपलब्ध कराए थे। जाहिर है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी व्यवस्था, जो सचेत रूप से सरकारी निगरानी से दूर रहने का प्रयास करती हो, ऐसे संकट के समय में सरकार से बचाने के लिए मदद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और कोई भी सरकार इतनी दीदादिलेरी नहीं दिखा सकती है कि ऐसी किसी व्यवस्था को संकट से निकालने के लिए वे सिर्फ इसलिए उतर पड़े क्योंकि उसने सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को तगड़ा चंदा दिया था! अगर लेहमान ब्रदर्स का प्रभाव पूंजीवाद की कार्य-पद्धति के साथ जुड़ा हुआ था, तो एफटीएक्स का पतन उन हेराफेरी भरे तरीकों का नतीजा है, जो क्रिप्टोकरेंसी की पूरी दुनिया के चरित्र को दर्शा सकते हैं और सामान्यतः दर्शाते हैं। वास्तव में इन हेराफेरी भरे तरीकों का बोलबाला ही तो उसे इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। पुनः इसमें भी हैरानी बात नहीं है कि इस संबंध में भी सवाल उठ रहे हैं कि ह्ययूक्रेन के लिए मददह्व फंड में से वास्तव में कितना पैसा यूक्रेन भेजा गया है, किसे भेजा गया है और इसमें से कितने पैसे का वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके नाम पर यह पैसा जमा किया गया था। चूंकि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की ही पहचान उसकी शून्य जवाबदेही तथा शून्य पारदर्शिता है और चूंकि इसके संबंध में जितनी भी जानकारी निकलकर आयी है, संबंधित वैब पेज पर समय-समय पर आयी परस्पर असंबद्ध टिप्पणियों से जोड़-जाडकर निकाली गयी हैं, इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। बहरहाल, यह यूक्रेन की सरकार और उसके पश्चिमी समर्थकों के बारे में भी काफी कुछ बताता है, जिन्होंने एफटीएक्स जैसे संदिग्ध संगठनों को, यूक्रेन की मदद करने के नाम पर, करोड़ों डालर का चंदा करने दिया है।

एफटीएक्स का बैठ जाना क्रिप्टोकरेंसी की समूची व्यवस्था के ही भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। बेशक, एफटीएक्स के बैठ जाने से बहुत सारे लोगों को घाटा हुआ होगा, लेकिन यह व्यवस्था कोई खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाएगी। असली सवाल यह है कि एफटीएक्स का पतन, सरकार की ओर से किस तरह की नीतियों को सामने लाता है।

क्या आरटीआई अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

डॉ सत्यवान सौरभ

आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। कार्यकताओं, वकीलों, नौकरशाहों, शोधकताओं और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के नागरिक पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

अधिकांश आरटीआई आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं जो अपने मूल अधिकारों और अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसने उस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने यह जानने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है कि करदाताओं के पैसे के साथ

क्या हो रहा है। इससे उन्हें आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम जैसे बड़े घोटालों का पदार्फाश करने में मदद मिली है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 60 लाख आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इसका उपयोग नागरिकों के साथ-साथ मीडिया द्वारा भी किया जाता है। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन का पदार्फाश करने में भी सक्षम रहे हैं, और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का दावा करने का अधिकार है। इससे जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत हुआ।

सरकार से पर्याप्त धन प्राप्त करने वाले कई निकायों के साथ-साथ सभी सरकारी विभागों को आरटीआई मुद्दों के तहत लाया गया है। इस अधिनियम की सुंदरता इसकी सादगी है। लेकिन, कुछ राज्यों में जटिल प्रारूप या नियम लोगों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, जिसका अर्थ है कि अपील और शिकायतें लंबित रहती हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी और जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ) का असहयोगी समूह। कई आयुक्त खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का इजहार करते देखे गए हैं। यह याचिकाकताओं के बीच पक्षपात की भावना पैदा करता है। अधिनियम के अंतर्गत सभी संस्थानों को शामिल नहीं किया जा रहा है। उदा। न्यायपालिका अधिनियम के अधीन नहीं है। आरटीआई के कार्यान्वयन के लिए पीआईओ को आवेदक को फोटो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आदि के माध्यम से जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। ये सुविधाएं ब्लॉक और पंचायत स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। इस कानून के बारे में जागरूकता की कमी और व्यापक रूप से अपनाने की कमी आज भी है।

150 शब्दों के भीतर आरटीआई आवेदन वाले कुछ राज्य है वहां विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं मिल सकता है। जन सूचना अधिकारी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते है कि विभाग के पास जानकारी नहीं है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना रखने वाले का पता लगाने और आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी अधिकारी की होती है। बड़ी संख्या में इनकार जहां लोगों को सिर्फ यह बताया जाता है कि यह जानकारी आपको प्रदान नहीं की जा सकती है, जो एक अवैध इनकार है।

सरकार से सूचना मांगने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, डेटासेट और सूचना का रखरखाव सार्वजनिक डोमेन में रखना एक बड़ी समस्या बन गई है। उदाहरणः कोविड -19 के दौरान जब सरकार से पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जान चली गई, प्रवासी श्रमिकों की संख्या के बारे में, तो सरकार ने कहा, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। सूचना आयुक्तों के पास आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। आयोग के आदेश के अनुसार सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा कार्यकताओं को मुआवजे के पुरस्कार के मामले में, अनुपालन सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड रखने की खराब प्रथाएं सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की कमी व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम जैसे पूरक कानूनों को कमजोर करती है। सरकार द्वारा संशोधन के प्रयास भी इसको कमजोर करते है जैसे फाइल नोटिंग सूचना के अधिकार का हिस्सा नहीं होंगे राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

आरटीआई उपयोगकताओं की धमकियों, हमलों और हत्याओं के बावजूद लोग अभी भी कानून का व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं, जो इस तथ्य की गवाही देता है कि यह कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत शक्तिशाली लगता है। डेटा संरक्षण विधेयक आरटीआई कानून में इस तरह से संशोधन करने की एक प्रणाली स्थापित करेगा कि सभी व्यक्तिगत सूचनाओं को छूट दी जाएगी। ऐसी बारीक जानकारी है जो यह कहते हुए लगाई जाती है कि यह उस व्यक्ति का नाम है, [ये हैं] जो राशन उन्हें दिया जा रहा है, उनका पता, ताकि सरकार पर दबाव बनाने और उन्हें रोके रखने के लिए सोशल ऑडिट को सक्षम किया जा सके। सूचना का अधिकार अधिनियम सामाजिक न्याय, पारदर्शिता प्राप्त करने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए बनाया गया था लेकिन व्यवस्थित विफलताओं के कारण उत्पन्न कुछ बाधाओं के कारण यह अधिनियम अपने पूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। आरटीआई के बारे में जागरूकता अभी बहुत कम है। जागरूकता का स्तर विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे महिला ग्रामीण आबादी, ओबीसी/एससी/एसटी आबादी के बीच कम है। आरटीआई शासन के फलने-फूलने के लिए एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था जरूरी है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों को किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने के लिए एक आचार संहिता विकसित की जानी चाहिए।

डिजिटल साक्षरता से अनभिज्ञ ग्रामीण किशोरियां

आज का युग सूचना तकनीक का युग है। सूचना क्रांति की इस दौड़ से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। सूचना भेजने से लेकर प्राप्त करने तक के सभी कार्य अब सुलभ और अनिवार्य होते जा रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा, बैंक लेनदेन, व्यापार-धंधा, पढ़ाई-लिखाई, देश-दुनिया के समाचार, सूचना, योजना, परियोजना, कार्यक्रम आदि की जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। स्मार्ट मोबाइल के आ जाने से सारा काम चुटकियों में हो जा रहा है। पढ़े-लिखे के अलावा अनपढ़ भी स्मार्ट फोन (डिजीटल टूल्स) के इस्तेमाल करके नवीनतम जानकारियों से रू-ब-रू हो रहे हैं। यूं कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोबाइल ने मुश्किल काम को सर्वसुलभ बना दिया है। लेकिन अभी भी देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसके पास यह सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है। भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 27 प्रतिशत परिवार ही ऐसे हैं जहां किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। वहीं 12।5 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास इंरनेट की सुविधा उपलब्ध है। केवल महिलाओं की ही बात की जाए तो भारत में मात्र 16 प्रतिशत महिलाएं ही मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हैं जो डिजिटलीकरण की दिशा में लैंगिक विभेद को साबित करता है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

अगर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण तक महिलाओं की पहुंच की बात की जाए तो यह आंकड़ा बहुत कम है। हालांकि महिलाओं व किशोरियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की अलग-अलग योजनाओं पर काम चल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना है- बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना आदि हैं। इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण परिवेश से आने वाली किशोरियों की जिंदगी बेहतर करना है। लेकिन अभी भी कुछ गांव में महिलाओं व किशोरियों के बीच बहुत सारी चीजों को लेकर जागरूकता का अभाव है। उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी तक नहीं है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल साक्षरता एक ऐसा विषय है जिससे अनगिनत महिलाओं और किशोरियों के पास जानकारियां ही नहीं हैं।

इसका एक उदाहरण बिहार के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर जिले से करीब 13 किमी दूर मुशहरी प्रखंड स्थित मनिकपुर गांव के मानिकचंद टोला

(दलित बस्ती) है। जहां की महिलाओं व किशोरियों के डिजिटल साक्षरता से जुड़ी चौका देने वाले तथ्य सामने आए हैं। गांव की 18 वर्षीय सुमन हैरत से पूछती है कि डिजिटल साक्षरता क्या होता है जब उससे पूछा गया कि क्या आप एंड्राइड मोबाइल के बारे में जानती हैं और क्या आप मोबाइल का उपयोग करती हैं तो उसने कहा कि हम सिर्फ बटन वाले मोबाइल के बारे में जानते हैं, जिससे केवल बात होती है। वहीं कई महिलाओं का कहना है कि पति उन्हें बटन वाला पुराना मोबाइल देते हैं। जिसमें पैसा भी नहीं डलवाते हैं।

वहीं किशोरियों का कहना है कि उनके माता-पिता मोबाइल उन्हें दो कारणों से नहीं देते हैं। पहला कि उनकी इतनीआमदनी नहीं है कि वह उन्हें ऐसे फोन दिला सकें और दूसरी बात वह यह सोचते हैं कि ऐसे फोन के इस्तेमाल से लड़कियां बिगड़ जाएंगी तो समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी। इस बात पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप यही सोच रख करअपने बेटे को भी मोबाइल नहीं देते होंगे तो उनका कहना था कि कि लड़के अगर कुछ गलत भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि हम गरीब हैं। मालिक के जमीन पर बसे होने के कारण उनके यहां काम करने पर पुरुष को 250 जबकि बाहर में वही काम करने पर 400 मिलता है। अगर बात करें महिलाओं की, तो उन्हें मात्र 100 ही मजदूरी मिलती है। जबकि दूसरी जगह काम करने पर 200 तक मिलते हैं। ऐसे में हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाले या उन्हें महंगी मोबाइल खरीद कर दें।

इस बस्ती के करीब ही रजवाड़ा भगवानपुर पंचायत की मुखिया के पति रघुवीर प्रसाद यादव बताते हैं कि पंचायत में लगभग 40 से 50 लड़के एवं 18 से 20 लड़कियां हैं। इनमें से सभी लड़कों के पास आधुनिक फीचर वाले मोबाइल हैं। इनमें से कुछ ही लड़के उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं। बाकि लड़के दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते हैं। जबकि केवल 2 लड़कियों को ही कंप्यूटर का ज्ञान है। वह कहते हैं कि किशोरियों को डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, परंतु उनके माता-पिता की मंशा ही नहीं कि उनकी बेटियां डिजिटल साक्षर हों।

बहरहाल, दलित-महादलित बस्ती की किशोरियां व महिलाएं सूचना क्रांति की इस दौड़ से कोसो दूर है। इनके सपने तो बड़े हैं पर सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन व जागरूकता की वजह से जीवन स्मार्ट नहीं बन रहा ।जबकि ब्लॉक और जिले में कई कौशल विकास मिशन के तहत डिजिटल साक्षर करने के लिए केंद्र खुले हुए हैं। पर, इन केंद्रों पर उपेक्षित और अभावग्रस्त किशोरियों व महिलाओं को हूनरमंद तथा सूचना तकनीकी जानकारियों से महरूम रखा जा रहा है। पूरे गांव में कुछ लड़कों के पास स्मार्ट फोन है, वहीं लड़कियों को स्मार्ट फोन देना माता-पिता भी नहीं चाहते। जिससे सामाजिक स्तर पर लड़कों व लड़कियों में अंतर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है।

भारत को एकीकृत जलनीति की जरूरत

भारत को भविष्य में तेज गति से विकास करने के लिए अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कुशलता से करना होगा। विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों की महत्वपूर्ण कांफ्रेंस भोपाल में हो रही है। देश के जल संसाधनों के प्रबंधन और भविष्य में जल की आपूर्ति नियमित बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही इस कांफ्रेंस में कम से कम दस ऐसे विषय हैं, जिनका उल्लेख अत्यंत आवश्यक है। भारत और सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों को इन विषयों पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए।

1. एकीकृत नीतिः देश में एकीकृत जल नीति होनी चाहिए। जल नीति का मंत्र अपनाया जाना चाहिए।

2. समेकित कानूनः अभी देश में पेयजल, सिंचाई जल, अपशिष्ट पुनर्चक्रीकरण से प्राप्त जल, औद्योगिक जल, वर्षा जल और भूजल के उपयोग व प्रबंधन के लिए अलग-अलग नीतियां, कानून व नियम लागू हैं। इससे कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं। सभी कानूनों, नियमों व नीतियों को एक नीति व कानून के दायरे में लाया जाए ताकि विलंब न हो। केंद्र व राज्य की नीतियां स्पष्ट परिभाषित हों। केंद्र और राज्यों की नीतियों में टकराव होता है।

3. सिंगल विंडो क्लीयरेंसः किसी भी सिंचाई परियोजना के निमार्ताओं व एजेंसियों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए। एक ही स्थान से राजस्व, वन और पर्यावरण, पुनर्वास और समय बद्ध मंजूरियां व क्लीयरेंस मिल सकें। ऐसा करने से परियोजना की लागत बढ़ने से बचा जा सकेगा और निर्धारित समय पर जल पहुंचाया जा सकेगा।

4. क्रियान्वयन कार्यक्रम : प्रत्येक परियोजना का एक चरणबद्ध शिड्यूल होना चाहिए। उस शिड्यूल के मुताबिक परियोजनाओं को समय पर पूर्ण किया जाए।

5. गोल पोस्ट बार-बार न बदलेंः डिजाइन में परिवर्तन की सीमा तय होनी चाहिए। अभी डिजाइन निर्धारित होने के बाद भी बार-बार बदलाव होता है। कई बार 7-8 बदलाव तक हो जाते हैं। हर बार डिजाइन परिवर्तन के कारण बड़ा नुकसान होता है। कई बार बदलावों के कारण परियोजना की लागत 80-100 करोड तक बढ़ जाती है। इसलिए डिजाइन में बदलाव का अवसर सिर्फ एक बार दिया जाना चाहिए, उसकी भी कोई समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

6. स्टेट्यूटरी औपचारिकताओं के बाद टेंडर होः सड़क निर्माण परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण और अन्य क्लीयरेंस के बाद ही टेंडर किए जाते हैं। उसी तरह सिंचाई परियोजनाओं में भी भूमि अधिग्रहण और अन्य स्टेट्यूटरी औपचारिकताएं (भूमि अधिग्रहण, वन विभाग की स्वीकृति, पर्यावरण मंजूरी और आरएनआर के मुआवजे) पूरी होने के बाद ही टेंडर और एग्रीमेंट होने चाहिए।

7. लागत वृद्धि की जिम्मेदारी तय होः अनावश्यक बदलावों और प्रशासनिक बाधाओं के कारण परियोजनाओं में विलंब होता जाता है। इससे परियोजना की लागत बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ परियोजना से होने वाले संभावित लाभ भी देश को आर्थिक हानि में बदल जाते हैं। लेकिन इन तमाम बाधाओं की जिम्मेदारी अभी व्यवस्था में किसी की नहीं है। देश को होने वाले इन आर्थिक नुकसान का आकलन और जिम्मेदारी तय करने की एक व्यवस्था होनी चाहिए।

8. ऑपरेशन कॉस्ट कम करने वाली नई टेक्नोलॉजी में निवेश करेंः वर्तमान में विभिन्न सरकारों और प्रशासनिक तंत्र का रवैया ऐसा है कि वे नई टेक्नोलॉजी में निवेश करने से बचते हैं। भविष्य की ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने के लिए वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी को खुले दिमाग से स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे जीआरपी का इस्तेमाल विकसित दुनिया में हो रहा है क्योंकि इसकी उम्र तीन गुनी है और पेयजल के लिए बेहतर है।

9. कंस्ट्रक्शन कंपनी को भागीदार की तरह समझेंः अभी प्रशासनिक व्यवस्था में कंस्ट्रक्शन कंपनी को बाहरी एजेंसी की तरह समझा जाता है। जबकि उन्हें परियोजना के क्रियान्वयन में भागीदार की तरह समझा जाना चाहिए क्योंकि वे आपको लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद कर रहे हैं।

10. समिति का गठनः वाटर कांफ्रेंस :2023 में व्यापक मंथन के बाद एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो समूचे देश के परिप्रेक्ष्य में नीति का मसौदा तैयार कर सके। संभावित नीति के मसौदे पर यह समिति सभी पक्षकारों की राय व सुझाव प्राप्त करके उनकी उपयोगिता और व्यावहारिकता का आकलन करके सभी बिंदुओं का नीति में समावेश करे।

सुपर कृषक बनने का मार्ग : सुपर फूड मोटे अनाज की प्राकृतिक कृषिक्या हम मनुष्य हैं ?

यह रागी हुई अभागी क्यों
चावल की किस्मत जागी क्यों
जो ज्वार जमी जन-मानस में,
गेहूँ के डर से यह भागी क्यों
यूँ होता श्वेत झंगोरा है।
यह धान सरीखा गोरा है।
पर यह भी हारा गेहूँ से,
जिसका हर कहीं ढिंढ़ोरा है!
जाने कितने थे अन्न यहाँ
एक-दूजे से प्रसन्न यहाँ।
जब आया दौर सफेदी का,
हो गए मगर सब खिन्न यहाँ।
अब कहाँ वो कोदो-कुटकी है
साँवाँ की काया भटकी है।
संन्यासी हुआ बाजरा अब,
गुम हुई काँगणी छुटकी है।
अब जिसका रंग सुनहरा है।
सब तरफ उन्हीं का पहरा है।
अब कौन सुने मटमैलों की,
गेहूँ का साया गहरा है।
यह देता सबसे कम पोषण।
और करता है ज्यादा शोषण।
तोहफे में दिए रसायन अर
माटी-पानी का अवशोषण।
यह गेहूँ धनिया-सेठ बना।
उपभोगी मोटा पेट बना।
जो हजम नहीं कर पाए हैं,
उनकी चमड़ी का फेट बना।
अब आएँगे दिन मक्का और रागी के।
उस कुरी, बटी, बैरागी के।
जब राजगिरा फिर आएगा
और ताज गिरें बड़भागी के।
जब हमला हो हमलाई का।
छँट जाए भरम मलाई का।
चीनी पर भारी चीना हो,
टूटेगा बंध कलाई का।

देश राष्ट्रीय किसान दिवस मनाता इसके ठीक एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने संसद में मोटे अनाज से बने व्यंजनों का भोजन कार्यक्रम आयोजित करके किसान दिवस के महत्त्व को बढ़ा दिया। ऐसा कर-के केंद्र सरकार ने किसान दिवस व आने वाले वर्ष में मोटे अनाज के उत्पादन, मार्केटिंग व उपभोग के प्रति अपनी मंशा प्रकट कर दी है।

पिछले कुछ दशकों में गेंहू, चावल की कृषि ने

मोटे अनाजों यथा मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी आदि को हमारी कृषि और थाली से लगभग बाहर कर दिया है। कृषकों और उपभोक्ताओं की मोटे अनाज (मीलेट्स) को भूलने की प्रवृत्ति ने हमारे देश के कृषकों की आय नागरिकों के स्वास्थ्य इंडेक्स दोनों को ही दुष्प्रभावित किया है। किंतु अब मिलेट्स के दिन फिर बहुरने लगे हैं। इनकी मांग पिछले एक साल के दौरान ही 129 प्रतिशत बढ़ चुकी है। खपत बढ़ने से किसानों ने खेती का रकबा भी 116 प्रतिशत बढ़ाया है। भारतीय कृषक मिलेट्स की कृषि में तकनीकी व प्राकृतिक उपायों के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए हैं। विगत पांच वर्षों में मोटे अनाज का बाजार पांच गुना हो चुका है। मोटे अनाज अपने स्वाद, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ सातः कैल्शियम आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जस्ता, पोटेशियम, विटामिन बी-6 और विटामिन बी-3 के प्रबल वाहक भी होते हैं। इन दिनों मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे जनजातीय बहुल प्रदेशों में तो जनजातीय बंधुओं द्वारा प्राकृतिक कृषि से उपजाएं जाने वाले मोटे देशज अनाजों की मांग महानगरों से व विदेशों से भी आने लगी है। जनजातीय क्षेत्रों में उगने वाले ये कोदो, कुटकी आदि अनाज कई बीमारियों के निदान का प्रतीक बन गए हैं। ये जनजातीय मिलेट्स महानगरों और विदेशों में सैकड़ों रुपए किलो तक हाथोहाथ लिए जाते हैं। जहाँ देश के बड़े वर्ग ने अपनी थाली में स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों को स्थान देना प्रारंभ किया है वहीं विभिन्न प्रकार के उद्योगों में, बायोडीजल हेतु व एथेनाल हेतु भी मोटे अनाजों की खपत बड़ी मात्रा में होने लगी है। खपत बढ़ने के कारण मोटे अनाज के बाजार भाव भी आकर्षक व लाभकारी मिलने लगे हैं। एक गाय के गोबर से 30 एकड़ भूमि पर मोटे अनाज की प्राकृतिक खेती हो जाती है। देशज गाय के एक ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले व मिट्टी की जल संधारण बढ़ाने वाले बेक्टीरिया होते हैं।

आज भारत विश्व मिलेट (मोटे अनाज) के उत्पादन में विश्व भर में सर्वाधिक अग्रणी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड, तमिलनाडु, और तेलगांना आदि प्रमुख मोटे अनाज उत्पादक राज्य हैं। आसाम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाजों की खपत होती है। देश में पैदा की जाने वाली मुख्य मिलेट फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का स्थान आता है। जनजातीय समाज के बंधू कोदों, कुटकी, सावां आदि की खेती की कृषि परंपरागत रूप से

प्राकृतिक रीति नीति से सैकड़ों वर्षों से करते चले आ रहे हैं। जनजातीय बंधुओं द्वारा उत्पादित ये मोटे अनाज बड़े ही स्वास्थ्य वर्द्धक व आयुष वर्द्धक होते हैं। इन मोटे अनाजों की फसल का एक विशेष गुण होता है कि इनकी कृषि जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से भी बड़ी जीवट होती हैं। सूखा, अधिक तापमान, कम पानी की भूमि, कम उपजाऊ जमीन आदि आदि की परिस्थिति में भी इनका अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। मोटे अनाज की कृषि को गरीब किसान की कृषि इसलिए ही कहा जाता रहा है। मोटे अनाजों की इस जिजीविषा पूर्ण कृषि, उत्पादन अनुपात, लागत अनुपात, पौष्टिकता, बहु उपयोगिता और पर्यावरण मित्र स्वभाव के कारण इन फसलों को सुपर फूड कहा जाने लगा है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि पांरपरिक भारतीय अनाजों में स्वास्थ्य का खजाना छुपा है। यही कारण है कि बीते वर्षों में में मोटे अनाजों की बुवाई का क्षेत्रफल सतत बढ़ता ही जा रहा है और फलस्वरूप मनुष्य और पशु दोनों के उदरपोषण में मोटे अनाजों का समावेश बड़े स्तर पर बड़े प्रतिशत के साथ हो गया है।

वर्ष 2018 को भारत में ह्लईयर ऑफ मिलेट्सह्व के रूप में मनाया गया था। अब इस स्थिति में एक और गुणात्मक परिवर्तन आ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर वर्ष 2023 को ह्लइंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्सह्व के रूप में मनाने का निर्णय किया है। वर्ष 2023 में देश भर में कृषकों को इन अनाजों के सन्दर्भ में हजारों कार्यशालाओं व अन्य माध्यमों से मोटे अनाज की प्राकृतिक कृषि के संदर्भ में समझाया जाएगा। आगामी वर्ष में मोटे अनाजों के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के विषय में देश के नागरिकों में जागरण अभियान भी चलाया जायेगा। मोटे अनाज कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी उपज दे सकते हैं और तुलनात्मक रूप से इनकों कीटनाशकों की उतनी जरूरत नहीं होती है। मोटे अनाजों को अधिक पानी-सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यह अधिक तापमान में भी आसानी से पैदा किये जा सकते हैं। यह फसलें किसानों के लिए अच्छी हैं, क्योंकि उनकी खेती करना दूसरी फसलों की तुलना में आसान है। यह कीट पंतगों से होने वाले रोगों से भी बचे रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलेट उत्पादन करने वालों में भारत, नाइजीरिया और चीन प्रमुख देश हैं जो कि दुनियां का 55 फीसदी उत्पादन करते हैं। देश में राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करने वाला राज्य है जहां 7 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में छोटे मोटे अनाज की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में खेती की जाती है। जिसमें मध्य प्रदेश 32।4, छत्तीसगढ़ 19।5, उत्तराखण्ड 8, महाराष्ट्र 7।8, गुजरात 5।3 और तमिलनाडु 3।9 फीसदी क्षेत्रफल में छोटी मिलेट फसलों की खेती की जाती है। देश में की जाने वाली ज्वार की खेती का 50 फीसदी रकबा अकेले महाराष्ट्र से आता है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा रागी की खेती की जाती है। सामान्यतः मोटे अनाजों की सभी फसलों की कीमत सामान्य धान से अधिक ही रहती है। रागी में पोटेशियम एवं कैल्शियम अन्य मिलेट फसलों की तुलना में ज्यादा है। कोदों में प्रोटीन 11, हल्की वसा 4।2, बहुत ज्यादा फाइवर 14।3 फीसदी के अलावा विटामिन-बी, नाइसिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम मैगनीशियम, जिंक आदि महत्वपूर्ण पौषक तत्व पाये जाते हैं। इसी प्रकार से बाजरा में प्रोटीन, फाइवर, मैगनीशियम, आयरन एवं कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बाजरा मधुमेह को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रोल के स्तर को नियंत्रित करता है। मोटे अनाज कैल्शियम, आयरन और जिंक की कमी को दूर करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मोटे अनाज गेंहू के ठीक विपरीत ग्लूटेन फ्री होते हैं और इस कारण मनुष्य को मोटापे से बचाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हरित क्रान्ति के कारण जैसे-जैसे गेहूँ और धान की पैदावार बढ़ी वैसे-वैसे भारतीय थालियों से मोटे अनाज गायब हुए और पौष्टिकता कम होते चली गई थी। अब भी हमारे देश में धान और गेंहू के सामने मोटे अनाजों का उत्पादन अब भी बहुत कम है।

'बिन पानी सब सून' कहावत हमारे जीवन में कहीं वास्तविकता न बन जाए

ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में विश्व में पानी को लेकर युद्ध छिड़ने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि जब भूगर्भ में पानी की उपलब्धता यदि इसी रफ्तार से लगातार कम होती चली जाएगी तो वर्तमान स्थानों (शहरों एवं गावों में) पर निवास कर रही जनसंख्या को अन्य स्थानों पर जाकर बसने को बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, उन स्थानों जहां पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, ऐसे स्थानों पर अधिक से अधिक लोग बसना चाहेंगे और फिर नागरिक आपस में युद्ध की स्थिति निर्मित करेंगे।

आगे आने वाले समय में पानी की अनुपलब्धता सम्बंधी परेशानियों से हमारे समाज के श्रद्धेय बुजुर्ग हमें लगातार आगाह कर रहे हैं परंतु इस देश के नागरिक होने के नाते अभी भी उक्त समस्या को हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसका बहुत बुरा परिणाम शायद हमें अथवा हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ सकता है।

दिनांक 5 जनवरी 2023 को ह्यजल विजन 2047ह्ल कॉन्फ्रेन्स को सम्बोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में हमें जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को और सिविल सोसायटी को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना होगा। हालांकि आज जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और इस कार्य में विभिन्न स्टार्टअप भी सहयोग कर रहे हैं, परंतु, फिर भी इस संदर्भ में नागरिकों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। भारत के नागरिकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को भी इसी प्रकार सफल बनाया गया है। सरकार ने संसाधान जुटाए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और शौचालय बनाने जैसे अनेक कार्य किए, लेकिन अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता ने सोचा कि गंदगी नहीं फैलानी है। इस अभियान से जब सब लोग जुड़े और जनता में चेतना और जागरूकता आई, तभी यह अभियान सफल हो सका। जनता में यही सोच जल संरक्षण ?के लिए भी जगाने की आज महती आवश्यकता है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सर संघचालक श्री मोहन भागवत जी ने ह्यसुजलाम अंतरराष्ट्रीय सेमिनारह्ल को संबोधित करते हुए जल का संयमित उपयोग करने एवं जल को बचाने का आह्वान किया। उक्त सेमिनार देश में चलाए जा रहे ह्यसुमंगलमह्ल नामक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का

भाग है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के पांच मूल तत्वों या ह्यपंचमहाभूतह्ल झ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष की शुद्धता को सुरक्षित रखने की अनूठी भारतीय अवधारणा को प्रस्तुत करना है। पर्यावरण संकट पर भारत सहित पूरी दुनिया में गहरा संकट देखने को मिल रहा है। इस महासंकट से निजात दिलाने में भारत सक्षम है।

आईए पहिले जल संकट की लगातार गम्भीर होती समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में पूरे विश्व में उपलब्ध ताजे जल स्रोत का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही मौजूद है जबकि विश्व की कुल जनसंख्या के 18 प्रतिशत भाग को भारत में जल उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, वर्ष 2010 में देश में मौजूद कुल ताजे जल स्रोतों में से 78 प्रतिशत का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा रहा था जो वर्ष 2050 तक भी लगभग 68 प्रतिशत के स्तर पर बना रहेगा। वर्ष 2010 में घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले जल की मात्रा 6 प्रतिशत थी जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो जाएगी। इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बना रहेगा ताकि भविष्य के लिये पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। भारत के लगभग 198 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ही सिंचित हैं। सिंचाई के लिये सर्वप्रमुख स्रोत के रूप में भूमिगत जल (63 प्रतिशत) का उपयोग किया किया जाता है, जबकि नहर (24 प्रतिशत), जलकुंड/टैंक (2 प्रतिशत) एवं अन्य स्रोत (11 प्रतिशत) भी इसमें अंशदान करते हैं। इस प्रकार, भारतीय कृषि में सिंचाई का वास्तविक बोझ भूमिगत जल पर है। समग्र स्थिति यह है कि 256 जिलों के 1,592 प्रखंड भू-जल के संकटपूर्ण अथवा अति-अवशोषित स्थिति में पहुंच गए हैं।

इसी प्रकार जल संकट से जूझ रहे दुनिया के

400 शहरों में से शीर्ष 20 में 4 शहर (चेन्नई पहले, कोलकाता दूसरे, मुंबई 11वें तथा दिल्ली 15वें स्थान पर है) भारत में है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर स्तर पर शीघ्र ही पंहुच सकते हैं।

देश में प्रतिवर्ष औसतन 110 सेंटीमीटर बारिश होती है एवं बारिश के केवल 8 प्रतिशत पानी का ही संचय हो पाता है, शेष 92 प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है। अतः देश में, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, भूजल का उपयोग कर पानी की पूर्ति की जा रही है। भूजल का उपयोग इतनी बेदर्दी से किया जा रहा है कि आज देश के कई भागों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 1000 फुट तक जमीन खोदने के बाद भी जमीन से पानी नहीं निकल पा रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में उपयोग किए जा रहे भूजल का 24 प्रतिशत हिस्सा केवल भारत में ही उपयोग हो रहा है। यह अमेरिका एवं चीन दोनों देशों द्वारा मिलाकर उपयोग किए जा रहे भूजल से भी अधिक है। इसी कारण से भारत के भूजल स्तर में तेजी से कमी आ रही है।

हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि भारत के पहाड़ी इलाकों में कई स्थानों पर बहुत पुराने पानी के चश्मे थे। साथ ही, मैदानी क्षेत्रों में जल से भरपूर कूएं, बावड़ियां होती थीं। चश्मों, में बहुत स्वादिष्ट पानी रहता था। गर्मियों में भी वह पानी कभी सूखता नहीं था। परंतु पिछले अनेक वर्षों से मैदानी इलाकों में कूएं, नदियां और नाले सूखते जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में चश्में भी सूख गए हैं, इनमें सदियों से बह रहा पानी लुप्त हो गया है। देश में इतनी बड़ी दुर्घटना कभी चर्चा का विषय नहीं बनी, यह हम सब जागरूक नागरिकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में विदेशों से बीजों का आयात कर जो पौधे लगाए गए हैं, उनमें से कई पौधे नकारात्मक ऊर्जा वाले व हानिकारक हैं। इन पौधों से हवा, पानी, भूमि प्रदूषित हो रही है एवं प्राणियों के स्वास्थ्य, शरीर, मन पर गम्भीर दुष्प्रभाव हो रहे हैं। सम्भवतः जमीन का पानी भी इन पौधों के कारण सूख रहा है। भारत में जो भी विदेशी पौधे लगाये जा रहे हैं, उन्हें लगाने के पूर्व वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में इनकी विधिवत जांच की जानी चाहिये और उसके बाद ही कोई पौधा भारत की धरती पर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिये। उक्त के साथ ही, देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई स्तर पर पानी के उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है। ड्रिप एवं स्प्रिंक्लर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करके प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। ऐसी फसलें, जिन्हें लेने में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जैसे, गन्ने एवं अंगूर की खेती, आदि को पानी की कमी वाले इलाकों में धीरे-धीरे कम करते जाना चाहिए और इन्हें देश के उन भागों में स्थानांतरित कर देना चाहिए जहां हर वर्ष अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर गन्ने की फसल को महाराष्ट्र एवं उत्तरप्रदेश से बिहार की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। देश की विभिन्न नदियों को जोड़ने के प्रयास भी प्रारम्भ किए जाने चाहिए जिससे देश के एक भाग में बाढ़ एवं दूसरे भाग में सूखे की स्थिति से भी निपटा जा सके। विभिन्न स्तरों पर पाइप लाइन में रिसाव से बहुत सारे पानी का अपव्यय हो जाता है, इस तरह के रिसाव को रोकने हेतु भी सरकार को गम्भीर प्रयास करने चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हम घर में कई छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देकर भी पानी की भारी बचत करें। जैसे, दांतों पर ब्रश करते समय सीधे नल से पानी लेने के बजाय, एक डब्बे में पानी भरकर ब्रश करें, शेव करते समय चालू नल के इस्तेमाल की जगह एक डब्बे में पानी भरकर शेव करें, स्नान करते समय शॉवर का इस्तेमाल न करके, बालटी में पानी भरकर स्नान करें, घर में कपड़े धोते समय नल के पानी को चालू रखते हुए कपड़े धोने के स्थान पर बालटी में पान भरकर कपड़े धोएं, एवं टोईलेट में फ्लश की जगह पर बालटी में पानी का इस्तेमाल करें। एक अनुमान के अनुसार, इन सभी छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान देकर प्रति परिवार प्रतिदिन 300 लीटर से अधिक पानी की बचत की जा सकती है। कुल मिलाकर भारत के हम सभी नागरिक पानी के संरक्षण के सम्बंध में यदि समय रहते नहीं चेते तो बिन पानी सब सून कहावत हमारे जीवन में ही वास्तविकता बन जाएगी।

शिक्षा अधिकार कानून के 12 साल- नाम बड़ा और दर्शन छोटे

अगस्त 2009 में भारत के संसद द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर सहमति की मुहर लगायी गयी थी और 1 अप्रैल 2010 से यह कानून पूरे देश में लागू हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों की कानूनी रूप से यह बाध्यता हो गयी कि वे 6 से 14 आयु समूह के भारत के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायें। आरटीई का अस्तित्व में आना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम था। आजादी के 62 वर्षों बाद पहली बार एक ऐसा कानून बना था जिससे 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार हासिल हो सका। निश्चित रूप से इस कानून की अपनी सीमायें रही हैं जैसे 6 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक आयु समूह के बच्चों को इस कानून के दायरे से बाहर रखना, शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त जोर नहीं देना और 25 प्रतिशत आरक्षण के साथ प्राइवेट स्कूलों की तरफ भगदड़ में और तेजी लाना। इसी तरह से इस कानून की परिकल्पना और पिछले दस वर्षों के दौरान जिस तरह से इसे अमल में लाया गया है उसमें काफी फर्क है। आज दशक बीत जाने के बाद यह सही समय है जब शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाये जो महज आंकड़ों के मकड़जाल से आगे बढ़ते हुये शिक्षा अधिकार कानून के बुनियादी सिद्धांतों पर केन्द्रित हो।

आरटीई का सफर घुटनों पर चलने की तरह रहा है। एक दशक बाद शिक्षा अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित हैं, उलटे इससे सवाल ज्यादा खड़े हुये हैं। इस कानून को लागू करने के लिये जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ही पिछले दस सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाती हुयी ही दिखाई पड़ी हैं। चूंकि हमारे देश के राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है इसलिये पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई को लागू करने में उदासीन रही हैं। दस साल इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से भारत के स्कूली शिक्षा का अधोसंरचना, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिये सरकारों की उपेक्षा से जूझता रहा है।

उपलब्धियों की बात करें तो शिक्षा अधिकार कानून का सफर ह्लसभी के लिये स्कूलों में नामांकन का अधिकारह्व साबित हुआ है। इस दौरान की सबसे बड़ी उपलब्धि शालाओं में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का लगभग सौ फीसदी नामांकन हैं, हम प्राथमिक स्कूलों की संख्या बढ़ाने में भी कामयाब रहे हैं। आज लगभग हर बसाहट या उसके करीब एक प्राथमिक स्कूल उपलब्ध है। इसके अलावा शालाओं के अधोसंरचना में भी सुधार हुआ है, आज ज्यादातर स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध है। हालांकि इनमें अभी भी पानी और साफ-सफाई की समस्या बनी हुयी है।

चुनौतियों की बात करें तो पिछले 12 वर्षों के दौरान आरटीई सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हुयी है। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन तो हो गये हैं लेकिन स्कूलों में बच्चों के टिके रहने की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसी के साथ ही आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिये माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

सार्वजनिक शिक्षा एक आधुनिक विचार है, जिसमें सभी बच्चों को, चाहे वे किसी भी लिंग, जाति, वर्ग, भाषा आदि के हों झ्र शिक्षा उपलब्ध कराना शासन का कर्तव्य माना जाता है। गौरतलब है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां सदियों तक शिक्षा

पर कुछ खास समुदायों का एकाधिकार रहा है,यह सिलसिला औपनिवेशिक काल में टूटा, जब भारत में स्कूलों के माध्यम से सबके लिए शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा स्थापित स्कूल-कालेज सभी भारतीयों के लिए खुले थे। अंग्रेजों द्वारा स्पष्ट नीति अपनाई गई कि जाति और समुदाय के आधार पर किसी भी बच्चे को इन स्कूलों में प्रवेश से इंकार नहीं किया जाएगा। यह एक बड़ा बदलाव था जिसने सभी भारतीयों के लिए शिक्षा का दरवाजा खोल दिया। आजादी के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में भारत के सभी नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के किसी भेदभाव के बिना किसी भी शिक्षा संस्थान में भर्ती होने का अधिकार दिया गया है।

साल 2010 में शिक्षा अधिकार कानून के लागू होने के बाद पहली बार केंद्र और सरकारों की कानूनी जवाबदेही बनी कि वे 6 से 14 साल सभी बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। लेकिन इसी के साथ ही इस कानून की सबसे बड़ी सीमा यह रही है कि इसने सावर्जनिक और निजी स्कूलों के अन्तर्विरोध से कोई छेड़-छाड़ नहीं की।आरटीई ने ना केवल शिक्षा के दोहरी व्यवस्था को बनाये रखा है बल्कि इसे मजबूत बनाने में भी मददगार साबित हुयी है। इसने सरकारी स्कूलों को ह्यमजबूरी की शालाह्न में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ा है।जो लोग सक्षम है उनकी दौड़ पहले से ही प्राइवेट स्कूलों की तरफ है। अब निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटा लागू होने के बाद गरीब और वंचित समुदाय भी इस भगदड़ में शामिल हो गये हैं।

बहरहाल पिछले तीन दशकों के दौरान दुनिया बहुत तेजी से बदली भी है और इसी के साथ ही देश-दुनिया की शिक्षा प्रणाली बढ़ती जरूरतों और मांगों के अनुसार कई बदलावों से गुजरी है। दुर्भाग्य से भारत में एक बार फिर कुछ समुदाय और वर्ग ही इन बदलाओं का फायदा उठा पा रहे हैं, देश की एक बड़ी जनसंख्या जिसमें मुख्य रूप से गरीब, अल्पसंख्यक और परम्परागत रूप से हाशिये पर रखे गये समुदाय शामिल है, की यहां तक पहुंच नहीं हो सकती है। इस बदली हुई दुनिया में ज्ञान पर एकाधिकार की एक नयी व्यवस्था बनी है जिसमें पूँजी और बाजार की एक बड़ी भूमिका है। पिछले 12 वर्षों के दौरान शिक्षा का सार्वभौमिकरण तो हुआ है लेकिन इसका विभाजन भी बहुत गहरा हुआ है। इस नये विभाजन के दो छोर हैं जहां एक तरफ कुछ चुनिन्दा कुलीन और संभ्रांत प्राइवेट स्कूल, नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय हैं तो दूसरी तरफ सरकारी और गली मुहल्लों में चलने वाले छोटे और मध्यमस्तर प्राइवेट स्कूल।

इन तमाम चुनौतियों से उभरने के हमें दो स्तरों पर उपाय करने की जरूरी है, एक तो आरटीई के दायरे में रहते हुये जरूरी कदम तो उठाने ही होंगे साथ ही शिक्षा अधिकार कानूनों के सीमओं को तोड़कर भी आगे बढ़ना होगा। प्राथमिक शिक्षा में लगभग शत प्रतिशत नामांकन के करीब पहुँचने के बाद आरटीई को सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा के लिये अवसर का कानून की भूमिका से आगे बढ़ते हुये सभी बच्चों के के लिये गुणवत्ता पूर्ण और समान

शिक्षा के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। अब नामांकित बच्चों के नियमितीकरण और उन्हें अधिक समय तक स्कूल में रोके रखने के लिये तत्काल ठोस उपाय किये जाने की जरूरत है। इसका सीधा सम्बन्ध शिक्षा के गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है जिसके लिये बड़ी संख्या में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के साथ एक बड़े नीतिगत फैसले और जरूरी बजट की जरूरत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करना और सावर्जनिक शिक्षा पर सरकारी खर्चे को जीडीपी के छह प्रतिशत तक खर्च करने की बात की गयी है लेकिन इस नीति में खुदखुद शिक्षा अधिकार कानून की ही चर्चा नहीं है । वैसी भी 1968 में जारी की गयी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी सावर्जनिक शिक्षा में जीडीपी के छह प्रतिशत तक खर्च का सुझाव दिया जा चूका है अब एक बार फिर इसे दोहराया गया है। लेकिन अब समय इसे दोहराने का नहीं बल्कि फैसला लेने का है।

शिक्षा में गवर्नेस की मौजूदा प्रणाली पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की बात की गयी है लेकिन इससे शिक्षा प्रशासन के केन्द्रीकरण का खतरा बढ़ जाने की सम्भावना है।शिक्षा के प्रशासन को हमें इस प्रकार से विकेन्द्रित करने की जरूरत है जिसके केंद्र में शिक्षक,समुदाय और बच्चे हो सकें।

शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन की निगरानी के लिये जिम्मेदार एजेंसी राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की भूमिका और स्पष्ट व मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रभावी निगरानी के लिये व्यावहारिक रूप से यह जरूरी है कि कम से कम हर जिले में आयोग का अपना ढांचा हो जो आरटीई के शिकायत निवरण ढ़ांचे की तरह काम करे। यह काम राज्य बाल आयोगों के माध्यम से भी किया जा सकता है।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है जबकि शिक्षा का जिम्मा शिक्षा मंत्रालय के पास हैं यहां भी सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। स्कूलों की सामुदायिक निगरानी और सहयोग की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, पिछले दस वर्षों के दौरान काफी स्कूलों में शाला प्रबंधन समितियों के गठन तो हो चुके हैं अब इनके सशक्तिकरण की जरूरत है। इसके लिये सिर्फ प्रशिक्षण ही काफी नहीं होगा बल्कि शाला प्रबंधन समितियों की भूमिका व जवाबदेहीता को और ठोस बनाने, इसके ढांचे के बारे में पुनर्विचार करने की भी जरूरत होगी। लेकिन इन सबसे अधिक जरूरी स्कूली शिक्षा को लेकर नीति निमार्ताओं के नजरिये में बदलाव की है जो सबसे टेढ़ी खीर है। इसके लिए हमें कोठारी आयोग के शरण में जाना होगा।1964 में गठित कोठारी आयोग द्वारा समान स्कूल व्यवस्था की वकालत की गयी, आयोग का मानना था कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिसके बिनाह पर समाज सभी वर्ग और समुदायों के बच्चे एक साथ समान शिक्षा हासिल कर सकें। आयोग ने ये भी माना था कि समान स्कूल व्यवस्था के सहारे ही दोहरी शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। अगर हम समान स्कूल व्यवस्था को अपनी मंजिल मानने को तैयार हों तो शिक्षा अधिकार कानून इस दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।

एक दूसरे से जूझते मानव व वन्य प्राणी

अक्सर हम सभी प्राकृतिक आपदा के बारे में सुनते है तो सबसे पहले हमारे जहन में आम जनजीवन की बात ही आती है जबकि इन आपदाओं से केवल आम जनजीवन ही नहीं जीव जन्तु भी प्रभावित होते है। हालांकि इसके लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है। अक्सर हम अपने लाभों के लिए जंगलों को उजाड़ देते हैं, पर वास्तविकता यही है कि यदि जंगलों का अस्तित्व समाप्त होगा तो इसका प्रभाव पर्यावरण पर पडेगा व जानवरों को भी इसका नुकसान उठाना पडेगा। बहुमूल्य खाल व स्वादिष्ट भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार आज भी छुप-छुप कर किया जाता है। साथ ही मनुष्य द्वारा जंगली जानवरों के आवासों को प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा है। इस कारण भी इनका अस्तित्व में संकट उत्पन्न हो गया है।

अक्सर जंगली जानवरों का मानव बस्तियों की ओर आने का कारण घटते वन क्षेत्रों को बताया जाता है पर राज्य में 65 प्रतिशत भू-भाग पर वन है। देखा जाए तो तस्करों द्वारा अवैध शिकार के साथ जंगलों में लगने वाली आग, विकास के नाम पर हो रहे अवैध कार्य, जंगलों में घटते आहार व जल स्रोत के लुप्त होने के कारण जंगली जानवर मानव बस्तियों की ओर रुख

करने लगे है। ऐसे में एक ओर जहां आम आदमी की जान आदमखोर जानवरों से कैसे सुरक्षित की जाए वहीं वन्य विभाग के सामने भी जंगली जानवरों पर आये दिन होने वाले प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं व अवैध शिकार से कैसे सुरक्षित की जाए, यह किसी चुनौती से कम नहीं है।

पदमपुरी धारी मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े बाघ की आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। यातायात के साधनों के अभाव के चलते अधिकतर ग्रामीण स्कूली बच्चे अपना सफर पैदल ही करते हैं। वहीं हल्द्वानी शहर के टांडा जंगल में बाघिन को उसके बच्चों के साथ गश्त लगाते देखा गया है। यह जंगल गांव के नजदीक है। आये दिन गुलदार और बाघ मानव बस्तियों में पहुच कर महिलाओं, बच्चों व मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। रामनगर गर्जिया निवासी 55 वर्षीय महिला शांति देवी को बाघ ने उस समय अपना शिकार बनाया जब वह जंगल में चारा जुटाने के लिए गई थी। जंगल ही नही, वरन् आंगन से बच्चों को उठा लेने की बहुत घटनाएं पहाड़ी क्षेत्रों में होती रहती हैं।

वन विभाग द्वारा अक्सर ग्रामीणों को जंगल में जाने पर रोक लगा दी जाती है पर सोचने का विषय यह भी है कि पर्वतीय क्षेत्रों की निर्भरता जंगलों पर सबसे अधिक है। चाहे वह चारा-घास, लकड़ी, आजीविका संवर्धन से सम्बन्धित गतिविधि ही क्यों न हो। हमें नहीं भूलना चाहिए यदि जंगल नहीं जाएंगे तो मवेशियों के लिए चारे का संकट उत्पन्न हो जायेगा। जंगल पर रोक लगाना कोई उपाय नहीं वरन् दूसरे आयामों को सोचना होगा। पहाड़ों पर चारे के अभाव के चलते मवेशियों को बेचने की प्रथा भी चलने लगी है। यह एक सोचनीय विषय है। इन मवेशियों पर पहाड़ी क्षेत्रों की आय भी टिकी है। दुग्ध उत्पादन प्रत्येक ग्राम के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है। यदि जानवर नहीं होंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी।

राज्य के ग्रामीण इलाकों को जानवरों की दुहरी मार झेलनी पड़ रही है। न तो आम आदमी का जीवन ही सुरक्षित है और न ही उनकी खेती। एक और जंगली जानवर गुलदार, बाघ जीवन समाप्त कर रहे हैं, वहीं बन्दर, जंगली सुअर व लंगूर खेती को बर्बाद करने में लगे हैं।

इन दोनों समस्याओं से निपटने में व्यक्ति असहाय हो गया है क्योंकि गुलदार को मार नहीं सकते हैं। मारने पर सात साल की कैद का प्रावधान है। अतः इससे सहमे हुए ग्रामीण शाम को सूरज ढलते ही घरों के अन्दर दुबकने को मजबूर हो गये हैं। उनकी एकमात्र उम्मीद वन विभाग से लगी है जो इस समस्या के समाधान से छुटकारा दिलाने में समर्थ नहीं है। वन विभाग की रिर्पोट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक बाध के हमले में 22 व्यक्तियों ने अपनी गवायी साथ ही 30 व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुए है। वहीं वर्ष 2000 से अब तक विभिन्न जंगली जानवरों के हमले में 317 व्यक्तियों ने अपनी जान गवाई वहीं 363 घायल हुए हैं। इन आंकड़ो में प्रति वर्ष वृद्धि ही देखने को मिल रही है।

राज्य में लोमड़ी की प्रजाति जो 15-20 वर्ष पूर्व बड़ी आसानी से देखी जाती थी वह आज विलुप्ति के कगार पर आ गयी है। इनके कम होने के कारण सुअरों का आतंक बहुत अधिक हो गया है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से जीवों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार व मैदानी क्षेत्रों में ट्रांजिट रसेन्यू सेन्टर की स्थापना, अवैध शिकार व वन्य जीव अपराधियों को पकड़ने हेतु डाग स्क्वायड व्यवस्था के साथ रैपिड एक्शन फोर्स व हाईव पैट्राल की स्थापना की है साथ ही अन्य पर भी कार्य जारी है पर हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। वास्तव में, प्रकृति का विनाश न करें, खुद जिये और जीवों को भी जीने दें, की प्रवृत्ति को अपनाना जरूरी है। यही वह मंत्र है जिससे मनुष्य और वन्य जीव न केवल अपना अस्तित्व बचा सकते हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मेष शनिबार की संध्या में लड्डू गरीबों में बांटे। सेहत का ध्यान रखें। गुरु की कृपा से भाग्य की बृद्धि होगी।कर्म स्थान का शनि मेहनत के बाद ही सफलता देगा। भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल है।

बृषभ जीवन में आनंद का वातावरण बनाने के लिए दुर्गासप्तशती का पाठ करें।विद्यार्थी के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल अवसर हैं। मन खिन्न रहेगा।बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद या ऑफ वाइट।

मिथुन अष्टम शनि के लिए चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें।दशम सूर्य आपके जीवन में विशेष कृपा बनाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।प्रतिष्ठा तो मिलेगी। लेकिन धनागमन में थोड़ी परेशानी होगी।मा के महालक्ष्मी रूप की पूजा करें। शुभ अंक 3 रंग हरा और लाल।

कर्क प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल समय है। सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।घर के स्त्री पक्ष का सेहत चिंता का कारण बनेगा। हनुमान जी की आराधना करें। बजरंगबाण का पाठ करें। शुभ अंक 7। शुभ रंग- गुलाबी

सिंह श्री लुक्ष्मी नारायण की पूजा से धन लाभ होगा। संध्या प्रहर घी का चतुर्मुख दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन जलाए। मंत्र के वेश में छुपे शत्रु से सावधानी की जरूरत है। उत्सव और मांगलिक कार्य की बातें करने का उपयुक्त समय है। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 8।

कन्या पंचम शनि करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर देंगे।विद्या व बुद्धि से सफलता प्राप्त होंगे।गुरु के प्रभाव से लीवर या पेट की समस्या रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण करें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3।

बृश्चिक भाई के लिए समय अनुकूल नही है।बाएं सुर बाले पीले गणपति का तस्बीर घर में रखें। आपके आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन आगमन का योग है। प्रतिष्ठा व सम्मान का योग है। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 5।

तुला भाग्य का राहु राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे। गुरु की कृपा से शत्रु व रोग का नाश होगा। शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।चांदी के पात्र से गाय का कच्चा दूध नदी में बहाएं।अनुकूलता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 4।

मकर जिद्द छोड़ना होगा।बाएं हाथ की कलाई में पीला धागा बांधने सेनुक्सान कम होगा।राहु अचानक व विचित्र परिणाम दे सकता है।कालभैरव जी की पूजा करें। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 7।

कुम्भ झूठ से नफरत होगी।झूठे लोगों से सामना होगा। लाभ होंगे लेकिन मन के अनुकूल नही।लेकिन मान सम्मान बढेगा। मंगल कार्य के लिए आगे बढ़े।आवश्यकता को कम करें। चोट चपेट से बचना होगा।हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखें। ॐ नमो नारायणाय का जाप करें। शुभ रंग-गुलाबी। शुभ अंक 8।

धनु धन का आगमन होगा। लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध व दही का सेवन नही करें। आत्मभिमान से बचना होगा।अहंकार को हावी नही होने दे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। शुभ रंग हरा।

मीन सूर्य की कृपा से पद व प्रतिष्ठा की बृद्धि होगी। गुस्सा पर नियंत्रण रखें।दुश्मन से सचेत जरूरी है। नजर बचना होगा।घर की शांति राहु के कारण नियंत्रण में नही रहेगा। सफेद कपड़े में सिंधा नामक घर के मुख्य द्वार पर बांधे। शुभ रंग -हरा। शुभ अंक 9।

क्या ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है ?

संस्कृति हमारे जीवन का एक आकर्षक पहलू है। इस संस्कृति को समझने के लिए सामाजिक जीवन की छानबीन करनी चाहिए और जीवन के कई पहलुओं के बीच खाने की आदतों, कपड़े, संगीत, भाषा, साहित्य, वास्तुकला और धर्म जैसे पहलुओं पर गौर करना चाहिए। हमारे जैसी मिली-जुली विविधता वाले देश का यह एक ऐसी बनावट है, जो हमें हमारी संस्कृति की जटिलता की समझ देती है। भारत के अलग-अलग धर्मों के लोगों के योगदान वाली संस्कृतियों के पहलुओं के बीच जबरदस्त आपसी रिश्ता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि भारतीय संस्कृति है क्या? कहा जा सकता है कि लोगों की मिली-जुली अभिव्यक्तियों की समग्रता ही भारतीय संस्कृति है। यह समावेशी है और इसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का संयोजन है। भारतीय संस्कृति को लेकर यह नजरिया भारतीय राष्ट्रवादियों से बना है। और अब तक ज्यादतर समय मिश्रित संस्कृति में इसी भरोसे ने सत्ता में बैठे लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन किया है। पिछले कुछ दशकों से हिंदू राष्ट्रवादियों के उदय के साथ, खासकर पिछले तीन सालों से कहीं ज्यादा हमारी संस्कृति की इस समझ को साम्प्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तमाम चीजें, जो गैर-ब्राह्मणवादी हैं, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और कमजोर किया जा रहा है। इसकी एक मिसाल उस समय सामने आयी, जब उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को ताजमहल की प्रतिकृति भेंट करने के चलन की आलोचना की थी (16 जून, 2017)। उनके हिसाब से ताजमहल भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, योगी ने नरेंद्र मोदी के शुरू किये गये पवित्र ग्रंथ गीता को उपहार में देने के इस चलन को बरकरार रखा।

ताजमहल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, जिसे संरक्षण दिया जाना है। इसे दुनिया के सात अजूबों में से भी एक माना जाता है। दुनिया भर के सैलानियों का आकर्षण होने के अलावा, यह भारत की महान स्थापत्य उपलब्धियों का भी प्रतीक है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रियतम पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस महान स्मारक को लेकर एक और प्रचलित विवाद रहा है। इस लेकर यह दुष्प्रचार किया जाता रहा है कि यह एक शिव मंदिर है, जिसे मकबरे में बदल दिया गया है। यह पूरी तरह गलत है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और दस्तावेज कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। शाहजहां की बादशाहनामा पूरी तरह स्पष्ट कर देती है कि इस इमारत को शाहजहां ने बनायी थी। एक यूरोपीय यात्री पीटर मुंडी लिखते हैं कि बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी की मौत के चलते गहरे शोक में हैं और उनकी याद में एक भव्य मकबरे का निर्माण करा रहे हैं। उसी समय भारत आने वाले एक फ्रांसीसी जौहरी टैवर्नियर इस बात की पुष्टि करते हैं। शाहजहां की दैनिक बही-खाते में संगमरमर पर खर्च हुए पैसे और श्रमिकों को दी गयी मजदूरी आदि जैसे खर्चों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। शिव मंदिर (तेजो महालय) होने की इस भ्रांति का एकलौता आधार वह उल्लेख है कि इस जमीन को राजा जयसिंह से उन्हें मुआवजा चुकाकर खरीदा गया था। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जयसिंह, जिनका ख़्याल रखते हुए इसे शैव मंदिर होने की बात की जाती है, , दरअस्ल एक वैष्णव व्यक्ति थे, और यह संभव नहीं है कि कोई वैष्णव राजा किसी शैव मंदिर का निर्माण करे। मजे की बात तो यह है कि पहले तो इसे शिव मंदिर माना जाता है और अब यह दावा किया जा रहा है कि यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है ? इस सवाल के साथ एक सवाल यह भी उठता है कि गीता को इतनी प्रधानता क्यों दी जा रही है ? याद आता है कि पहले कई बार हमारे नेता आने वाले मेहमानों को गांधी की आत्मकथा- 'एक्सपेरिएंस विद ट्रूथ' उपहार में देते थे। गीता को गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर वाणी, और बसवन्ना, नारायण गुरु आदि की लिखी पुस्तक आदि जैसे हमारे कई पवित्र ग्रंथों ग्रंथों के बीच प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में पेश किया जा रहा है। इसका जवाब हमें बाबासाहेब अम्बेडकर के अलावा और किसी से नहीं मिल सकता। अम्बेडकर बताते हैं कि गीता संक्षेप में वह मनुस्मृति ही है, जिसके मूल में ब्राह्मणवाद है।

सर्दियों में रखें अपनी त्वचा का ख्याल, रहे कोमल त्वचा

हम सभी अपनी त्वचा से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा चाहते हैं कि हमारी त्वचा साफ और चमकती रहे, साथ ही कोमल और खिली-खिली लगे। लेकिन अक्सर जब मौसम बदलता है तो हम त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करते हैं, खासकर जब हम गर्मियों से ठंड के मौसम में प्रवेश करते हैं। सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन, पपड़ीदार त्वचा, त्वचा पर चकत्ते और खुजली आदि जैसी कई समस्याओं का सामना करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों से ठंड के मौसम में कील-मुंहासे और दाग-धब्बे जैसी समस्याएं भी होती हैं। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम मौसम के अनुसार अपने स्किनकेयर रूटीन नहीं बदलते हैं। जब मौसम बदलता है तो हम अपने स्किन केयर रूटीन में उसके अनुसार ही चीजों को शामिल करना होता है, इसमें सुबह से लेकर रात, आपके पूरे दिन का स्किनकेयर रूटीन शामिल होता है।अक्सर लोग इस बात को लेकर काफी असमंजस में रहते हैं कि सर्दियों के मौसम में चेहरे पर रात में क्या लगाना चाहिए या सर्दी के मौसम में नाइट स्किन केयर रूटीन कैसे होना चाहिए? अगर आप इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस लेख में हम आपको सर्दियों में चेहरे पर रात में क्या लगाएं? इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

1. दूध लगाएं

आपको रात में सोने से पहले चेहरा साफ जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप क्लींजर का प्रयोग कर सकते हैं, खासकर दूध का। दूध त्वचा की गहराई से सफाई करता है। क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो एक बेहतरीन क्लींजर के रूप में काम करता है। यह त्वचा की गंदगी साफ करता है, साथ ही त्वचा में नमी लॉक कर-के उसे कोमल बनाता है।

2. मॉश्चराइजर लगाएं

त्वचा की सफाई या फेश वॉश के बाद, चेहरे में नमी बनाए रखने के उसे मॉइश्चराइज करना बहुत जरूरी है। इसके इसलिए आप किसी नेचुरल मॉइचराइजर का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जेल या क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं।

3. हाइड्रेटिंग मास्क लगाएं

आपको सप्ताह में कम से कम एक बार चेहरे पर रात में हाइड्रेटिंग मास्क जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि त्वचा में नमी बनी रहे और त्वचा रूखी न पड़े।

4. डेड स्किन करें साफ

आपको सप्ताह में एक बार डेड स्किन को साफ करने के लिए त्वचा को एक्सफोलिएट जरूर करना चाहिए।

क्योंकि यह मृत कोशिकाएं आपकी के रोम छिद्रों को बंद कर देती हैं और कील-मुहांसों को जन्म देते हैं।

5. मालिश करें

आप चेहरे पर नारियल, सरसों तेल आदि से सप्ताह में 1-2 दो बार मालिश भी कर सकते हैं। यह त्वचा पर एलर्जी, पपड़ीदार त्वचा और फटने से बचाता है और त्वचा में चमक बनाए रखता है।

Run under Guidelines of NABL and WHO

आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर BioQ Diagnostics ने डेंगू के फैलाव को देखते हुए

डेंगू फॉलो अप टेस्ट पैकेज लाया है .....

DENGUE TEST M.R.P.:₹1200/- Now at ₹600/- only

PACKAGE-1
- CBC with Manual Platelet Count
- SGOT
- SGPT

Price : ₹780/- Now at ₹450/- only

PACKAGE-2
- CBC with Manual Platelet Count
- Liver Profile (LFT)
- C-Reactive Protein (CRP)

Price : ₹1650/- Now at ₹ 900/- only

BioQ DIAGNOSTICS

A Complete
DIAGNOSTIC SOLUTION
The Most Systematic Organised
& Most Advanced Lab of Bihar & Jharkhand

- Complete Diagnostic Facilities under one Roof
- Run under Guidance and Supervision Of PGI Chandigarh Traind Doctor and other team of experts.
- Home collection facility & Membership Scheme Available

CANCER TEST | RTPCR | URINE TEST | STOOL TEST
CULTURE | SPUTUM TEST | BLOOD TEST | SWAB TEST

Auth. Collection Centre
Aditya vision-Shop no 20, Ground Floor, Yuvraj Palace, Near by Sri Ram hospital, Lohiya Nagar, kankarbagh, Patna-800020

BioQ Healthcare Private Limited
Regd. Office :- S.D.O. Road, Andar kila
Beside St. John's School, Hajipur (Vaishali) Bihar-844101
www.bioqhealthcare.com

Mobile : 95070 00102 | 91170 00102 | 95550 55828
Phone : 06224-350043 | 06224-35004
Email : info@bioqhealthcare.com

FORD HOSPITAL, PATNA

A NABH Certified Multi Super-Speciality Hospital

PATNA

A 105-Bedded Hospital Run by Three Eminent Doctors of Bihar

उत्कृष्ठ एवं अपनत्व की अनुभूति

Dr. Santosh Kr.

Dr. B. B. Bharti

Dr. Arun Kumar

हृदय रोग चिकित्सा के लिए बेहतरीन टीम

2nd Multi Speciality NABH Certified Hospital of Bihar

Best Promising Multi Speciality Hospital 2018 Bihar.

फोर्ड हॉस्पीटल में उपलब्ध सेवाएं

क्लीनिकल सर्विसेस

- कार्डियोलॉजी
- क्रिटीकल केयर
- न्यूरोलॉजी
- स्पाईन सर्जरी
- नेफ्रोलॉजी एवं डायलेसिस
- ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा
- ओब्स एवं गॉबनेकोलौजी
- पेडिएट्रिक्स
- पेडिएट्रिक सर्जरी
- साइचिरेट्री एवं साइकोलॉजी
- रेस्पिरेट्री मेडिसिन
- यूरोलॉजी
- सर्जिकल ऑन्कोलौजी

Empaneelled with CGHS, ECR, CISF, NTPS, Airport Authority, Power Grid & other Leading PSUs, Bank, Corp. & TPS

New Bypass (NH-30) Khemnichak, Ramkrishna Nagar, Patna- 27
Helpline ; 9304851985, 9102698977, 9386392845, Ph.: 9798215884/85/86
E-mail : fordhospital@gmail.com web. : www.fordhospital.org